एक आईएसओ 9001:2015 एण्ड आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

(पूर्वनाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट)

विल्लिंगडन आईलेण्ड,कोचिन-682009

वार्षिक लेखा

2021-22

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
		तुलन पत्र	1
		लाभ और हानि लेखा	2
अनुसूची	**उप अनुसूची**		
		तुलन पत्र हेतु अनुसूचियाँ:	
I		संचय एवं अधिशेष	3
		सांविधिक संचय	3
		अनुदान सहायता	3
II		ऋण निधियाँ	3
III		अवमूल्यन के लिये पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ और प्रावधान	4
IV		निवेश	5
V		विविध देनदार	5
VI		नकद एवं बैंक में जमा राशि	5
VII		ऋण एवं अग्रिम	5
VIII		मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों	5
		तुलन पत्र के लिये अनुसूचियों हेतु उप अनुसूचियाँ::	
	क	निधियाँ एवं सांविधिक संचय	6
	ख	बैंक मे जमा राशि एवं नकदी	7
		लाभ और हानि लेखा के लिये उप अनुसूचियाँ	
		आय	
	ग	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	8
	घ	पोर्ट और गोदी शुल्क	8
	ङ	रेलवे आमदनी	8
	ज	संपदा किराया	8
		व्यय	
	झ	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	9
	ञ	नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ	9
	ट	रेलवे कार्य	9
	ठ	भाड़ा योग्य भूमि और भवनों	10
	ड	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन	10
	ढ	वित्त और विविध आय	11
	ण	वित्त और विविध व्यय	11
		लाभ और हानि लेखा के लिये अतिरिक्त अनुसूची	12-14
IX		**कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के तुलन पत्र**	15
		सी.एफ.एच. के आय और व्यय लेखा	16
		सी.एफ.एच. की प्राप्ति और भुगतान खाता	17
X		**वार्षिक लेखा के लिये टिप्पणियाँ**	18-36

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

(पूर्वनाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट)

31 मार्च 2022 तक तुलन पत्र

	विवरण	**अनुसूची**	**2021-22**		**2020-21**	
			₹	₹	₹	₹
I	**निधि के स्रोत**					
	संचय और अधिशेष	I				
	क पूंजीगत संचय		84,84,07,574		84,84,07,574	
	ख निधियाँ		66,61,796	85,50,69,371	67,25,221	85,51,32,795
	ग सांविधिक संचय			16,72,81,794		16,72,81,794
	घ सहायता अनुदान			37,71,72,887		20,01,86,094
	ऋण निधियाँ	II				
	क सरकारी ऋण		4,46,82,33,147		4,46,82,33,147	
	ख असुरक्षित ऋण		2,60,41,960	4,49,42,75,107	2,56,53,064	4,49,38,86,211
	कुल			**5,89,37,99,159**		**5,71,64,86,894**
	कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
	कुल योग			**5,89,49,85,525**		**5,71,76,73,260**
II	**निधियों का प्रयोग**					
	स्थिर / पूंजीगत परिसंपत्तियाँ	III				
	सकल ब्लॉक		7,04,26,62,942		7,02,35,90,690	
	न्यून:अवमूल्यन हेतु प्रावधान		3,40,62,49,251		3,24,30,48,307	
	निवल ब्लॉक			3,63,64,13,691		3,78,05,42,383
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर			8,03,76,868		3,70,61,742
	निवेश	IV		15,00,000		1,15,00,000
	मौजूदा परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
	क चालू परिसंपत्तियाँ:					
	i अर्जित ब्याज		4,69,59,525		5,34,17,670	
	ii संपत्ति सूची		73,27,720		71,54,469	
	iii विविध देनदार	V	53,22,82,443		51,85,02,701	
	iv नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	3,44,12,04,212		3,68,90,98,379	
	ख ऋण एवं अग्रिम	VII	1,04,55,87,387		78,20,95,844	
	कुल		5,07,33,61,286		5,05,02,69,063	
	न्यून:चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	VIII	7,66,11,98,048		8,01,52,37,722	
	निवल चालू परिसंपत्तियाँ			-2,58,78,36,761		-2,96,49,68,659
	ग लाभ और हानि लेखा			4,76,33,45,362		4,85,23,51,429
	कुल			**5,89,37,99,159**		**5,71,64,86,894**
	कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
	कुल योग			**5,89,49,85,525**		**5,71,76,73,260**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

(पूर्वनाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

विवरण	उप अनुसूची	2021-22	2020-21
आय			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	ग	2,70,87,33,494	2,56,98,66,070
पोर्ट एवं गोदी प्रभार (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	घ	3,35,85,90,865	3,20,06,11,809
रेलवे आमदनी	ङ	0	0
सपंदा भाड़ा	च	1,09,06,72,813	1,06,27,11,760
कुल		**7,15,79,97,172**	**6,83,31,89,639**
कम व्यय:			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार	छ	50,21,85,606	52,87,70,468
नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	ज	1,85,96,40,783	1,55,26,20,786
रेलवे कार्य	झ	0	0
भाड़ा योग्य भूमि एवं भवनों	ञ	21,40,71,359	23,17,76,956
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन (विशेष गतिविधि के लिये सीधे उत्तरदायी नहीं)	ट	1,09,71,17,610	1,12,11,55,979
कुल		**3,67,30,15,357**	**3,43,43,24,189**
परिचालन लाभ (+) / हानि (-)		3,48,49,81,814	3,39,88,65,449
योग: वित्त और विविध आय	ठ	43,32,16,324	43,66,33,392
कुल		**3,91,81,98,139**	**3,83,54,98,842**
न्यून: वित्त और विविध व्यय	ड	3,82,91,92,071	3,76,34,93,384
कर पूर्व लाभ		8,90,06,068	7,20,05,457
न्यून: कराधान हत् प्रावधान			
कर पश्चात लाभ		8,90,06,068	7,20,05,457
न्यून : विनियोजन			
पूंजीगत संचय		0	0
कुल			
राजस्व संचय के लिये शेष स्थानान्तरित		8,90,06,068	7,20,05,457
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह			
आय		3,80,60,692	3,06,07,724
व्यय		3,64,45,709	3,85,09,077
अधिशेष(+) / घाटा (-)		**16,14,983**	**-79,01,354**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31.03.2022 तक तुलन पत्र के लिए अनुसूची

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2021-22	2020-21
संचय और अधिशेष	I	क		
पूंजीगत संचय			84,84,07,574	84,84,07,574
सीपीई(एचबीए) परिवार लाभ निधि			40,65,627	38,48,145
कर्मचारी कल्याण निधि			25,04,751	27,43,191
परिवार सुरक्षा निधि			91,418	1,33,884
कुल			**85,50,69,371**	**85,51,32,795**
सांविधिक संचय	I	क		
पूंजीगत संपदाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु निधि			9,83,85,897	9,83,85,897
विकास, आकस्मिक व्यय और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि			6,88,95,897	6,88,95,897
कुल			**16,72,81,794**	**16,72,81,794**
सहायता अनुदान	I			
पैदल रास्ता और पार्किंग सुविधाओं के विकास हेतु सहायता अनुदान			0	-1,06,29,246
अतिरिक्त पर्यटन सुविधा -पैदल रास्ता सृजन हेतु सहायता अनुदान			-4,88,627	-83,53,072
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सहायता अनुदान			3,35,22,665	3,29,80,847
रेल ओवर ब्रिज के लिए सहायता अनुदान			8,66,96,800	8,50,27,216
आर एवं डी योजना के अंतर्गत "अवसादन एवं इष्टतम सुधारक उपायों पर अध्ययन" पर सहायता अनुदान			0	-10,10,380
प्रदूषण प्रतिक्रियाओं (पीआर) उपकरण / सामग्री की खरीद के लिए सहायता अनुदान			69,53,423	67,65,462
आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन			-35,877	-28,32,794
एरणाकुलम वार्फ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण के लिए सहायता अनुदान			0	-73,48,675
क्रूज़ टर्मिनल के लिए बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान(सामुद्रिका)			-17,55,222	-3,62,738
क्रूज़ टर्मिनल के लिए अतिरिक्त बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान			-65,77,715	3,08,05,673
साउथ कोयला बर्थ के पुनरुद्धारण हेतु सहायता अनुदान			-30,79,058	4,46,06,897
सहायता अनुदान-सीएफएच			25,00,00,000	0
कुल			36,52,36,388	16,96,49,189
न्यून: सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम- चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनावृत मंत्रालय से प्राप्त			-1,19,36,499	-3,05,36,905
कुल अनुदान			**37,71,72,887**	**20,01,86,094**
ऋण निधियाँ				
क. सरकार से ऋण	II		4,46,82,33,147	4,46,82,33,147
कुल			**4,46,82,33,147**	**4,46,82,33,147**
ख असुरक्षित ऋण	II			
(क) अन्य स्रोत ऋण				
ऋण की मूल राशि			29,91,508	29,91,508
योग:अर्जित ब्याज			2,30,50,452	2,26,61,556
कुल			**2,60,41,960**	**2,56,53,064**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पत्तन प्राधिकरण अनुसूची III

31.03.2022 तक पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्टर

(राशि रुपये में)

परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन हेतु प्रावधान				निवल ब्लॉक	
	01-04-2021 तक	योग	विलोपन	31-03-2022 तक	01-04-2021 तक	विलोपन पर	वर्ष के दौरान	31-03-2022 तक कुल	31-03-2022 तक	01-04-2021 तक
भूमि	51,49,16,218	0	0	51,49,16,218	0	0	0	0	51,49,16,218	51,49,16,218
पूंजी निकर्षण	84,39,61,873	0	0	84,39,61,873	19,92,12,493	0	84,53,939	20,76,66,432	63,62,95,441	64,47,49,380
भवन, शेड और अन्य संरचनाएँ	74,34,59,836	0	0	74,34,59,836	40,20,47,428	0	2,19,83,338	42,40,30,766	31,94,29,070	34,14,12,408
वार्फ़ों, सड़कों और चौहदियों	2,12,21,51,596	23,91,378	66,97,123	2,11,78,45,851	65,62,51,268	1,82,361	4,54,21,286	70,14,90,193	1,41,63,55,659	1,46,59,00,328
प्लव यान	1,30,68,57,646	0	0	1,30,68,57,646	95,13,33,891	0	4,32,49,693	99,45,83,584	31,22,74,062	35,55,23,755
गोदी, समुद्री बांध आदि	18,18,56,439	3,50,68,189	0	21,69,24,628	16,94,67,754	0	38,45,924	17,33,13,678	4,36,10,950	1,23,88,685
क्रेनों और वाहनों	16,32,74,441	0	1,16,90,193	15,15,84,248	13,84,87,075	1,16,90,191	1,33,97,175	14,01,94,060	1,13,90,188	2,47,87,366
संयंत्र और मशीनरी	39,23,08,005	0	0	39,23,08,005	28,20,54,392	0	1,09,92,764	29,30,47,156	9,92,60,849	11,02,53,613
जल, बिजली, अग्निशमन एवं दूर संचार हेतु स्थापनाएँ	70,65,01,751	0	0	70,65,01,751	39,80,22,524	0	2,73,25,347	42,53,47,871	28,11,53,880	30,84,79,227
तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ	3,83,25,308	0	0	3,83,25,308	3,77,20,261	0	46,541	3,77,66,802	5,58,506	6,05,047
विविध परिसपत्तियां	99,77,584	0	0	99,77,584	84,51,229	0	3,57,488	88,08,717	11,68,867	15,26,355
कुल	**7,02,35,90,695**	**3,74,59,567**	**1,83,87,316**	**7,04,26,62,947**	**3,24,30,48,313**	**1,18,72,552**	**17,50,73,495**	**3,40,62,49,257**	**3,63,64,13,690**	**3,78,05,42,382**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3,70,61,742	6,42,95,544	2,09,80,418	8,03,76,868	0	0	0	0	8,03,76,868	3,70,61,742
कुल योग	**7,06,06,52,437**	**10,17,55,111**	**3,93,67,734**	**7,12,30,39,815**	**3,24,30,48,313**	**1,18,72,552**	**17,50,73,495**	**3,40,62,49,257**	**3,71,67,90,558**	**3,81,76,04,123**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31.03.2022 तक तुलन पत्र के लिये अनुसूचियाँ

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2021-22	2020-21
निवेश	IV			
क दीर्घावधि निवेश				
मेसर्स कोचीन ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर कं. लि. के शेयरों में (प्रति 10 रु की 1,50,000 ईक्व्टी शेयर)			15,00,000	15,00,000
ख वर्तमान निवेश				
म्यूचल निधि में निवेश - एसबीआई मागनम लो ड्रूरेशन फण्ड ड्यरेक्ट ग्रोत (3865.844 इकाई रु 2586.757 प्रति इकाई का @ एनएवी)			0	1,00,00,000
कुल			**15,00,000**	**1,15,00,000**
विविध देनदार	V			
सरकारी देय - 6 माह से कम			12,16,72,407	11,02,34,847
- 6 माह से अधिक			8,82,74,357	10,34,51,980
गैर सरकारी देय - 6 माह से कम			11,49,30,866	10,20,48,805
- 6 माह से अधिक			31,38,72,160	30,27,03,994
			63,87,49,790	61,84,39,625
न्यून:संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			10,64,67,347	9,99,36,925
कुल			**53,22,82,443**	**51,85,02,701**
नकद एवं बैंक में जमा राशि				
नकदी	VI	B	82,832	55,368
बैक में शेष :				
वर्तमान लेखा			7,15,45,083	21,37,86,163
बचत लेखा			44,33,58,570	0
आवधिक जमा			2,92,59,54,979	3,47,48,04,316
कैष कार्ड			2,62,747	4,52,532
कुल			**3,44,12,04,212**	**3,68,90,98,379**
ऋण एवं अग्रिम (नकद या प्रकार में वसूलीयोग्य अथवा प्राप्त किये जाने के लिये मूल्य)	VII			
अग्रिम में भुगतान एवं शेष ऋण			1,00,38,28,095	72,19,74,273
जमा			2,98,22,792	2,95,84,666
योग:मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम			1,19,36,499	3,05,36,905
कुल			**1,04,55,87,387**	**78,20,95,844**
वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधानों	VIII			
वर्तमान देनदारियाँ				
सामान्य भविष्य निधि			72,58,11,515	70,90,39,237
देय वेतन व मजदूरी			6,32,47,293	10,93,55,060
अर्जित व्यय			93,93,51,963	97,63,26,061
विविध लेनदार और जमा शेष			2,95,26,57,142	2,87,80,66,209
व्यापारी, ठेकेदार और दूसरों से जमा			2,98,01,30,135	3,34,24,51,155
कुल			**7,66,11,98,048**	**8,01,52,37,722**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

उप अनुसूची -क

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

निधियों एवं सांविधिक संचयों का विवरण

जी/एल कोड	भवन निर्माण अग्रिम-एफबीएफ	कर्मचारी कल्याण निधि	परिवार सुरक्षा निधि	प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं पूंजीगत संपदाओं के आधुनिकीकरण हेतु संचय	ऋणों एवं आकस्मिक व्ययों के पुनर्भुगतान विकास हेतु संचय
	110100	110101	110102	110200	110201
	₹	₹	₹	₹	₹
1 अप्रल 2021 तक शष	38,48,145	27,43,191	1,33,884	9,83,85,897	6,88,95,897
योग: जीआरएफ से अंशदान	20,225	0	4,35,000		
कर्मचारियों से अंशदान	40,477	0	1,41,534		
बीमा निगम से दुर्घटना दावा	0	0	0		
निवेश पर ब्याज	1,72,963	0	0		
कुल	**40,81,811**	**27,43,191**	**7,10,418**	**9,83,85,897**	**6,88,95,897**
न्यून: निधि से व्यय/समायोजन	16,184	2,38,440	6,19,000		
31 मार्च 2022 तक शेष	**40,65,627**	**25,04,751**	**91,418**	**9,83,85,897**	**6,88,95,897**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

उप अनुसूची-ख

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31.03.2022 तक बैंक में जमा राशि और नकदी

विवरण		₹
नकदी		82,832
कैष कार्ड		2,62,747
राष्ट्रीय एवं अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		7,15,45,083
राष्ट्रीय एवं अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		44,33,58,570
बैंकों के साथ मियादी जमा:		
सामान्य संचय निधि	67,60,32,045	
जमा कार्य	1,17,80,10,980	
अन्दान	36,87,11,958	
कुल जमा		2,22,27,54,983
सामान्य भविष्य निधि		69,99,99,996
एचबीए एफबीएफ निवेश		32,00,000
कुल		**3,44,12,04,212**
राष्ट्रीय बैंकों के साथ शेष		3,44,11,21,380
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		शून्य

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

आय

	2021-22	2020-21
	₹	₹
उप-अनुसूची -ग		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार		
सामान्य कार्गो पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	22,59,62,952	27,54,75,970
क्रेन-भाड़ा	6,07,255	79,450
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकण्ट के हस्तन प्रभार	1,09,39,25,072	95,67,07,778
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	1,17,43,026	1,10,28,259
कंटेनरों पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	23,27,368	70,77,463
विविध प्रभार - कार्गो	1,24,97,943	1,48,67,247
आईसीटीटी से राजस्व शेयर	1,17,57,90,735	1,14,66,47,303
बंदरगाह अधिशुल्क-एलएनजी बेसिन	18,33,82,362	15,64,36,398
स्टीवडोरिंग एवं शोर हस्तन के लिए रोयालिटी	24,96,781	15,46,200
कुल	**2,70,87,33,494**	**2,56,98,66,070**
उप-अनुसूची- घ		
पोर्ट और गोदी प्रभार		
नौकर्षण एवं नौबन्ध प्रभार	36,07,01,706	36,76,80,631
बर्थ किराया प्रभार	34,76,30,370	37,54,99,631
पोर्ट देय	80,88,11,288	77,08,99,163
कन्हारी शुल्क	1,69,82,08,974	1,61,72,31,085
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	8,40,058	10,00,718
विविध प्रभार- जहाज़	70,00,801	40,83,458
निकर्षण सेवाओं से आय	8,70,05,000	4,39,19,310
मारिटाइम सेवा प्रभार सहित क्रूइस जहाज़ से आय	4,83,92,668	2,02,97,813
कुल	**3,35,85,90,865**	**3,20,06,11,809**
उप-अनुसूची -ङ		
रेलवे आमदनी	0	0
उप-अनुसूची- च		
संपदा भाड़ा		
ज़मीन से किराया	62,29,45,556	59,91,16,368
भवनों, शेड और गोदामों से किराया	9,34,77,290	10,70,76,515
विविध आय	35,85,42,759	34,30,72,000
विविध आय	1,57,07,208	1,34,46,876
कुल	**1,09,06,72,813**	**1,06,27,11,760**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2021-22	2020-21
	₹	₹
उप अनुसूची- छ		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार		
शेड एवं वार्फ़ों में सामान्य कार्गो के हस्तन एवं भण्डारण	32,56,66,808	35,77,83,596
कंटेनरों के हस्तन एवं भण्डारण	13,83,826	17,61,909
क्रेन के प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,07,89,440	2,09,65,374
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकेंट के हस्तन	7,70,81,129	7,13,14,480
वार्फ़ों एवं चौहदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	30,56,837	33,92,609
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	7,41,32,723	7,35,28,500
नये लघु कार्य	74,843	24,000
कुल	**50,21,85,606**	**52,87,70,468**
उप अनुसूची-ज		
कन्हारी शुल्क समेत पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ		
नौकर्षण,बर्थिंग एवं नौबंध	16,82,61,287	18,02,97,435
कन्हारी शुल्क	7,03,84,374	6,57,33,525
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	19,22,737	28,46,425
अग्निशमन	9,17,15,700	9,09,43,313
निकर्षण एवं समुद्री पर्यवेक्षण	1,08,65,52,858	80,01,45,708
हार्बर गश्ती दल	78,23,072	81,64,065
नौसंचालन संबंधी सहायता के प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,89,91,628	3,39,50,563
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	40,39,21,629	37,04,73,279
नये लघु कार्य	67,499	66,474
कुल	**1,85,96,40,783**	**1,55,26,20,786**
उप अनुसूची - झ		
रेलवे कार्य		
स्टेशन, अन्य भवनों एवं संरचनाओं का अनुरक्षण	0	0

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2021-22	2020-21
	₹	₹
उप अनुसूची -ञ **किराये योग्य भूमि और भवनों**		
संपदा अनुरक्षण	13,56,13,063	14,57,76,740
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	7,84,58,295	8,60,00,216
कुल	**21,40,71,359**	**23,17,76,956**
उप अनुसूची - ट		
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन		
प्रबंधन एवं सचिवालय व्यय	29,65,91,266	32,35,75,951
चिकित्सा व्यय	12,25,73,244	12,26,25,218
भण्डार रक्षण	2,15,30,037	2,09,00,371
लेखांकन एवं लेखा परीक्षण	23,93,53,728	22,95,45,052
मुख्य कार्यालय भवन एवं दूरभाष	72,19,636	91,52,220
अभियंत्रण एवं शिल्पशाला प्रशासन	13,17,76,235	13,73,57,458
अतिरिक्त और विविध व्यय	27,80,73,465	27,79,73,061
नये लघु कार्य	0	26,649
कुल	**1,09,71,17,610**	**1,12,11,55,979**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

जीएल कोड	विवरण	2021-22	2020-21
		₹	₹
	उप अनुसूची - ठ		
	वित्त और विविध आय		
540000	विविध प्राप्तियाँ	18,70,18,538	7,73,23,125
540001	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	60,49,044	30,96,517
540003	आईजीटीपीएल से प्राप्य ब्याज	0	0
540004	पूंजीगत परिसंपत्तियों पर बीमा दावा की वसूली	11,00,780	5,11,037
540005	ब्याज आय	11,01,33,803	7,87,28,060
540006	बिना कारामद भंडारण का क्रय	56,93,694	1,09,54,222
540007	मोटर लॉरी और विविध संयंत्रों का किराया	2,24,988	54,272
540008	परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिये प्रभार	7,55,23,904	4,55,44,584
540009	पिछले वर्ष से संबंधित मदें	2,85,14,666	16,95,44,813
540010	पेंशनभोगियों के लिये चिकित्सा योजना	49,789	61,660
540011	गैर हकदार लोगों के लिये चिकित्सा उपचार	4,76,362	2,11,636
540012	भूमि के लीज हेतु प्रीमियम	1,84,30,755	4,97,63,989
540013	इंडिया योजना (एस ई आई एस) से सेवा निर्यात	0	8,39,478
	कुल	**43,32,16,324**	**43,66,33,392**
	उप अनुसूची - ड		
	वित्त और विविध व्यय		
670002	बैंक प्रभार	4,63,078	9,26,602
670004	संदिग्ध ऋण के लिये प्रावधान	65,30,422	48,86,415
670006	कर्मचारी कल्याण निधि के लिये अंशदान	0	0
670007	परिवार सुरक्षा निधि के लिये अंशदान	4,35,000	9,20,000
670008	पेंशन भुगतान समेत पेंशन निधि न्यास के लिये अंशदान	3,53,91,29,636	3,48,99,39,800
670009	पिछले वर्षो से संबंधित मद	5,19,58,465	2,87,53,343
670010	सीपीटीई एचबीए एफबीएफ के लिये अंशदान	20,225	28,163
670012	सीपीई नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	2,64,08,954	1,14,67,549
670014	उपदान निधि न्यास के लिये अंशदान	19,89,70,046	21,70,93,427
670016	निपटान पर कमी	1,73,762	0
670023	बिजली जमा पर ब्याज	22,23,586	23,51,980
670026	अन्य स्रोत ऋणों पर ब्याज	3,88,896	3,88,896
670027	व्यवहार्यता एवं अनुसंधान व विकास अध्ययनों पर व्यय	3,29,837	3,46,329
670031	सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्व	21,60,164	63,90,881
	कुल	**3,82,91,92,071**	**3,76,34,93,384**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु अतिरिक्त अनुसूची
परिचालन व्यय

जीएल कोड	विवरण	2021-22 ₹	2020-21 ₹
	वेतन एवं मजदूरी:		
600000	वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	21,06,01,829	20,52,55,119
600002	पीएलआर	1,77,98,427	1,99,39,716
600003	समयोपरि	1,13,16,175	94,16,840
600004	प्रोत्साहन	24,65,742	23,85,323
600005	मानदेय	8,33,780	23,92,269
600006	अवकाश नकदीकरण	9,03,43,924	6,14,16,651
600007	वेतन एवं मजदूरी (परिचालन)	65,68,01,435	65,50,32,062
600008	वेतन एवं मजदूरी (आर एण्ड एम)	33,26,98,590	36,13,61,966
600010	अवकाश यात्रा रियायत	0	89,609
600011	कर्मचारी सुविधा और कल्याण उपाय	20,240	16,780
600012	नियोक्ता ईएसआई अंशदान	9,95,917	10,04,325
600013	नियोक्ता ईपीएफ अंशदान	35,75,480	36,24,266
640000	वेतन(पत्तन सुरक्षा)	32,58,868	1,88,20,138
650000	वेतन एवं मजदूरी-चिकित्सा	9,09,81,487	9,07,04,041
	कुल (क)	**1,42,16,91,894**	**1,43,14,59,106**
	भण्डार		
610000	भण्डार-सामान्य	5,41,843	11,13,801
610001	भण्डार-यूनिफार्म	4,25,682	9,21,091
610002	भण्डार-परिचालन	81,28,124	68,85,762
610003	भण्डार-ईंधन	20,96,28,141	19,92,44,040
610004	भण्डार(आर एण्ड एम)	1,34,48,401	1,13,25,310
	कुल (ख)	**23,21,72,192**	**21,94,90,004**
	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय		
620000	स्टोर-स्टेशनरी की खपत	2,54,361	3,20,458
620001	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0	0
620002	यात्रा व्यय	10,62,020	10,43,108
620004	कुरियर शुल्क	1,66,927	1,54,435
620005	लाइसेंस शुल्क व अधिशुल्क	30,86,454	31,17,756
620006	उपकरण और फर्नीचर	1,98,314	1,65,611

जीएल कोड	विवरण	2021-22	2020-21
		₹	₹
620010	विविध व्यय	58,24,038	48,10,723
620011	नये लघु कार्य	5,39,680	1,60,395
620013	मनोरंजन	1,21,061	21,56,356
620014	प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,45,387	42,319
620015	क्रीड़ा और खेल कूद	2,33,166	1,69,292
620016	विधिक प्रभार	87,83,224	55,00,700
620017	मुद्रण प्रभार	4,37,297	6,88,431
620018	कार्यालय मशीन किराया और सेवा शुल्क	25,744	31,846
620019	प्रचार और विज्ञापन	14,59,661	13,08,248
620020	लेखा परीक्षा और लेखांकन	76,88,413	47,34,873
620021	किराया, दरों और शुल्कों	20,42,149	34,74,081
620022	दूरभाष	12,06,631	15,11,699
620023	अभिदान	1,74,968	1,33,183
620025	आईपीए शेयर अंशदान	1,46,90,577	1,46,83,211
620026	विपणन व्यय	1,78,757	12,51,021
	कुल (ग)	**4,84,18,830**	**4,54,57,746**
	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		
630000	ठेका सड़कों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	81,72,886	1,00,29,114
630001	ठेका भवनों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	47,23,508	92,06,723
630002	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	24,89,496	30,38,307
630004	प्लव यान का शुष्क गोदीयन	5,77,70,583	2,88,88,476
630005	ठेका सड़कों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	6,57,569	7,75,356
630006	ठेका भवनों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	62,45,343	43,10,924
630007	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	79,96,699	75,72,560
630008	वाहनों का किराया और परिवहन प्रभार	1,09,09,920	97,44,036
630009	जल प्रभार	4,17,15,900	4,66,01,333
630012	बिजली प्रभार	26,07,09,742	25,37,76,577
630013	बोट, टॉग एवं लॉन्च का किराया	21,34,23,852	20,75,80,939
630015	निकर्षण अनुरक्षण	95,67,46,986	69,96,72,471
630016	विविध व्यय	3,49,26,403	4,09,33,539
630017	बीमा	67,19,838	60,83,372
630018	स्व खपत-बिजली	1,46,21,031	1,30,34,432
	कुल (घ)	**1,62,78,29,755**	**1,34,12,48,158**

जीएल कोड	विवरण	2021-22	2020-21
		₹	₹
	सुरक्षा व्यय		
640001	गश्त के लिए नाव का किराया	32,17,477	29,51,257
640002	आई एस पी एस	48,500	2,00,000
640004	के.औ.सु.ब.-तैनाती प्रभार	12,92,35,488	15,30,62,144
640005	एसईजेड-लागत वसूली	13,60,380	10,67,586
640006	निजी सुरक्षा प्रभार	37,22,326	60,50,143
	कुल(ङ)	**13,75,84,171**	**16,33,31,131**
	चिकित्सा व्यय		
650001	विशेषज्ञों को वेतन, शुल्क और मानदेय	26,86,624	22,33,347
650002	भण्डार-चिकित्सा	2,04,01,291	1,97,67,145
650003	प्रावधान-चिकित्सा	89,580	95,079
650004	अस्पताल उपकरण	24,718	90,302
650005	चिकित्सा व्यय	19,26,825	16,19,788
650006	बाहरी अस्पतालों को भुगतान प्रभार	51,15,982	65,84,362
	कुल (च)	**3,02,45,020**	**3,03,90,024**
	मूल्यह्रास		
	वर्ष के लिये अवमूल्यन	17,50,50,236	19,17,69,609
670021	पूर्वावधि अवमूल्यन	23,259	1,11,78,411
	कुल (छ)	**17,50,73,495**	**20,29,48,020**
	कुल योग (क) से (छ) तक	**3,67,30,15,357**	**3,43,43,24,189**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची- IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31 मार्च 2022 तक तूलन पत्र

(राशि रुपये में)

	विवरण	**2021-22**		**2020-21**	
क	**निधियों के स्रोत**				
	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता	19,10,32,261		19,10,32,261	
	न्यून : अनुदान प्रयुक्त	18,98,45,895	11,86,366	18,98,45,895	11,86,366
	कुल		**11,86,366**		**11,86,366**
ख	**निधि का उपयोग**				
	अचल सम्पत्ति				
	सकल ब्लॉक	18,98,45,895		18,98,45,895	
	कार्य प्रगति पर	0		0	
		18,98,45,895		18,98,45,895	
	न्यून : प्राप्त अनुदान	18,98,45,895	0	18,98,45,895	0
	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
	क. चालू परिसंपत्तियाँ:				
	(i)निवेश पर अर्जित ब्याज	7,88,808		7,65,498	
	(ii)विविध देनदार	1,44,49,198		1,26,51,679	
	(iii)नकद और बैंक में जमा राशि	4,42,18,328		3,83,74,463	
	ख. ऋण एवं अग्रिम	3,53,588		2,78,687	
	कुल	5,98,09,923		5,20,70,327	
	न्यून:चालू देनदारियों और प्रावधानों	9,20,86,055		8,59,61,443	
	निवल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		-3,22,76,132		-3,38,91,116
	लाभ और हानि लेखा (संचित घाटा)		3,34,62,498		3,50,77,482
	कुल		**11,86,366**		**11,86,366**

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची - IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31 मार्च 2022 तक तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

व्यय	राशि 2021-22	राशि 2020-21	आय	राशि 2021-22	राशि 2020-21
वेतन और अन्य लाभ	2,58,67,660	2,70,11,518	टोल संग्रह	1,08,62,080	57,82,765
बिजली प्रभार	19,72,542	17,53,487	बिजली प्रभार	19,07,845	14,87,345
सुरक्षा प्रभार	19,17,967	31,64,832	मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	61,38,567	33,64,059
जल प्रभार	14,38,265	12,03,236	भूमि पर लीज भाड़ा	70,22,005	74,70,541
मरम्मत और अनुरक्षण	13,44,469	15,62,712	भवन एवं जमीन भाड़ा	44,75,911	47,98,361
व्यावसायिक प्रभार	5,96,890	5,17,705	विविध प्राप्तियाँ	13,17,596	19,14,505
मुद्रण और लेखन सामग्री	45,200	58,615	स्लीपवे का लीज	20,89,866	20,48,886
विविध व्यय	82,329	61,447	जल प्रभार	9,28,914	7,37,850
यात्रा व्यय	34,372	14,383	लाइसेंसीकरण एवं लाइसेंस शुल्क	9,09,556	4,82,874
पूर्व अवधि व्यय	-	1,39,479	मत्स्य अवतरण प्रभार	7,01,864	4,55,345
दूरभाष प्रभार	32,561	50,397	बैंक ब्याज	16,09,294	19,74,366
विज्ञापन व्यय	2,68,011	-	मत्स्य ग्रहण यानों का नामांकन	97,195	90,827
सेवानिवृत्त फायदा के लिए प्रावधान	28,45,443	29,71,267	निवल घाटा	-	79,01,354
निवल अधिशेष	16,14,983				
	3,80,60,692	**3,85,09,077**		**3,80,60,692**	**3,85,09,077**

वित्तीय सलाहकार
मुख्य लेखा अधि

अनुसूची- IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
231.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिये प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियाँ	राशि 2021-22	राशि 2020-21	भुगतान	राशि 2021-22	राशि 2020-21
हाथ में आदि नकद	91,655	82,210	वेतन और पीएलआर	2,61,82,524	3,12,17,383
बैंक में आदि नकद	3,82,82,808	4,76,05,496	यात्रा व्यय	42,718	22,501
मत्स्य ग्रहण यानों का पंजीकरण	97,195	90,827	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	76,100	58,259
लाइसेंसीकरण एवं लाइसेंस शुल्क	4,96,093	4,82,874	विज्ञापन प्रभार	2,68,011	-
भूमि पर लीज भाड़ा	1,01,70,636	1,03,23,054	मरम्मत और अनुरक्षण	8,25,822	15,62,712
भवन और जमीन भाड़ा	48,64,060	38,10,885	एसडी/जमीन भाड़ा का प्रतिदाय	6,16,818	3,46,160
मत्स्य अवतरण प्रभार	7,01,864	4,55,345	दूरभाष प्रभार	33,503	50,540
मत्स्य बाहरी- हस्तन प्रभार	61,38,567	33,64,059	बिजली प्रभार	19,72,542	17,53,487
बिजली प्रभार	20,24,420	13,05,551	जल प्रभार	14,38,265	12,03,236
टोल संग्रह	1,41,18,176	57,82,765	चेक प्रभार	12,806	10,182
विविध जमा/प्रतिभूति	1,83,603	3,39,946	विविध व्यय	62,689	51,389
विविध प्राप्तियाँ	12,86,160	19,13,068	व्यावसायिक प्रभार	6,05,890	6,06,205
बैंक ब्याज	15,89,403	30,97,763	सुरक्षा प्रभार	16,44,326	29,17,080
टी डी एस देयिता	1,09,261	1,38,067	टी डी एस देयिता भुगतान	1,12,851	1,70,486
जल प्रभार	9,55,264	5,95,413	जमा -सेवा कर अपील	74,901	-
संग्रहित जी एस टी	30,78,231	48,90,437	पूर्वावधि व्यय	-	50,872
			जी एस टी भुगतान	59,99,302	58,82,804
			इति नकद शेष	10,000	91,655
			इति बैंक शेष	4,42,08,328	3,82,82,808
	8,41,87,396	**8,42,77,760**		**8,41,87,396**	**8,42,77,760**

वित्तीय सलाहकार ए
मुख्य लेखा अधिकारी

-

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

वर्षिक लेखा 2021-22 हेतु टिप्पणियाँ

भाग I- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. आय और व्यय की गिनती लेखांकन के व्यापारिक प्रणाली पर आधारित है।
2. आय के लेखांकन के समय रूढ़िवाद के सिद्धांत का पालन किया गया है।
3. अचल सम्पत्ति, वस्तुसूची और निवेश की गिनती ऐतिहासिक लागत प्रणाली पर की जाती है।
4. परिसम्पत्ति का मूल्य को जीवन काल के अंत में 1/- के रुपये मानते हुये सीधी रेखा के आधार पर लेखा में मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। सम्पत्ति का जीवन काल भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर तय किया गया है। पूंजीकरण कि तिथि से उचित अनुपात में अवमूल्यन किया जाता है।
5. लंबी अवधि के निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
6. भूमि की लीज पर प्राप्त अग्रिम भुगतान लीज अवधि के लिये समरूप से परिव्याप्त है।
7. भूमि के लीज पर प्रीमियम को वित्त और विविध आय के तहत प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में विचार किया जाता है।
8. पूर्वावधि मदें, जैसे कि आय अथवा व्यय जो वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में उत्पन्न त्रुटियों अथवा चूक अथवा एक या एकाधिक पूर्वावधियों के बिल या दावों के संशोधन के कारण चालू वित्त वर्ष में पैदा हुआ है, को वित्त और विविध आय अथवा वित्त एवं विविध व्यय के अधीन शामिल किया गया है।
9. विविध निधियों के निवेश से प्राप्त आय संबंधित निधियों को दिये जाते हैं।
10. आकस्मिक देनदारियों को लेखा के लिये "अन्य टिप्पणियों" में प्रकाशित किया जाता है।
11. विशेष अचल परिसम्पत्तियों से संबंधित प्राप्त सहायता अनुदान को उनके अंकित मूल्य प्राप्त करने में संबंधित परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाते हुये तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।
12. कार्गो और पोत संबंधित सेवाओं पर राजस्व सेवा के पूरा होने पर मान्यता प्राप्त है। संपत्ति से राजस्व समय के आधार पर मान्यता प्राप्त है।
13. निर्यात प्रोत्साहन तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन दिया जाता है कि शर्तों को पूरा किया गया है और प्रोत्साहन प्राप्त किया गया है।
14. मौजूदा कार्यों के लिए सभी नए कार्यों या परिवर्धन/परिवर्तन या सभी नए संयंत्र या उपकरण या क्राफ्ट या प्रतिस्थापन जिनकी लागत 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है या जिनकी आयु पांच साल से अधिक नहीं है को नए सामान्य कार्यों के रूप में राजस्व प्रभार लगाया जाता है।
15. पट्टादारों में लिए गए भवन का लेखांकन विचार इस प्रकार होगा:

    मामला I: जब भवन किसी पट्टेदार से बिना किसी लागत के लिया जाता है और बाद में पट्टे के साथ या बिना किराए पर दिया जाता है या स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है , तो ऐसी इमारत को खातों की पुस्तकों में 1 रुपये या लागू स्वीकार्य / मूल्यह्रास लागत पर अधिग्रहण की तिथि से पूंजीकृत किया जाएगा।

मामला II: जब भवन पट्टेदार से लिया जाता है (जिस का नियंत्रण कोचीन पत्तन के साथ अस्थायी प्रकृति का है) और भवन की लागत के साथ नए पट्टेदार को भूमि के साथ पट्टे पर दिया जाना है , तो नए पट्टेदार से प्राप्त राशि पुराने पट्टेदार को , पत्तन को देय यदि कोई हो , को समायोजित करने के बाद दी जाएगी। इस मामले में भवन/परिसंपत्ति को खातों की पुस्तकों में पूंजीकृत नहीं किया जाएगा , लेकिन वर्ष के अंत में अभी तक पट्टे पर नहीं लिए गए भवन का विवरण वार्षिक खातों का हिस्सा बनने वाले खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।

ऐसी स्थिति में जहां पुराने पट्टेदार द्वारा पत्तन को भवन को शून्य मूल्य पर स्थानांतरित किया जाता है लेकिन नए पट्टेदार ने नीलामी के बाद भवन के मूल्य का भुगतान किया है , ऐसे भुगतान किए गए मूल्य को पत्तन की वित्त और विविध आय के रूप में माना जाएगा।

भाग- II – अन्य टिप्पणियाँ

16. तुलन पत्र , पी एंड एल खाता और अनुसूचियों के आंकड़ों को फिर से इकट्ठा किया गया है, जहां कभी भी वर्ष के दौरान वस्तुओं में परिवर्तन पर आवश्यक परिणाम होता है।

17. पोर्ट का निष्पादन

कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के दौरान 31.50 एमएमटी की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 34.55 एमएमटी कार्गो हस्तन किया। वर्ष 2020-21 में कोचिन पोर्ट में आए 1475 जहाज़ों की तुलना में वर्ष 2021-22 में 1509 जहाज़ आए। पोर्ट ने वर्ष 2020-21 में 6,89,697टीईयू कि तुलना में वर्ष 2021-22 में 7,35,577 टीईयू कंटेनर हस्तन किए।

18. अनुदान सहायता :

ए) पोर्ट द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान सहायता राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ मियादी जमा के रूप में पार्क किए जाते हैं और आवश्यकता के आधार पर नकदीकरण किया जाता है । ऐसे निवेशों से प्राप्त ब्याज संबंधित अनुदानों में जमा किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न अनुदानों से प्राप्त ब्याज 0.30 करोड़ रुपये है। वर्ष 2021-22 के दौरान पर्यटन मंत्रालय को 0.55 करोड़ रुपये (पिछले वर्षों के ब्याज सहित) का ब्याज चुकाया गया है।

बी) 31.03.2022 को अनुदान की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	रकम (रु. करोंड़ में)
01.04.2021 को अनुदान की शेष राशि (मंत्रालय से प्राप्य अनुदान का निवल)	16.96
संयोजन: विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	27.14
संयोजन: 2021-22 के दौरान अर्जित ब्याज	0.30
2021-22 के दौरान समायोजित कम व्यय	7.33
पर्यटन मंत्रालय को चुकाया गया कम ब्याज	0.55
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार शेष अनुदान	**36.52**

19. भारत सरकार से लिया गया ऋण

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित 31.03.2016 को भारत सरकार के ऋण की अंतिम देनदारी 558.53 करोड़ रुपये है। प्रतिबद्धता के अनुसार पोर्ट ने मार्च 2019 और मार्च 2020 प्रत्येक में 55.85 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त का भुगतान किया है।

कोविद-19 महामारी और परिणामतः पोर्ट के यातायात और वित्तीय स्थिति में आई गिरावट के कारण भारत सरकार के ऋण की तीसरी किस्त का भुगतान हेतु 2020-21 से 2022-23 तक 3 वर्षों का समय बढ़ाने के लिए मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव के अनुसार तीसरी किस्त 2023-24 में देय होगी। इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय की टिप्पणियों के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं और अनुमोदन की प्रतीक्षा किया जा रहा है।

20. **पूंजीकरण:**

वर्ष 2021-22 के दौरान 3.75 करोड़ रुपये की संपत्ति का पूंजीकरण किया गया है। 8.04 करोड़ रुपये राशि के साथ 31.03.2022 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर है।

21. **पूंजीगत व्यय:**

वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये करोड़ में)
1	सरकारी बजटीय सहायता से बाहर (जीबीएस)	0.00
2	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में से (आईईबीआर)	
	ए) आंतरिक संसाधन	3.14
	बी) विभिन्न मंत्रालयों से अनुदान	9.08
	सी) अन्य अभिकरणों	2.93
	कुल पूंजीगत व्यय	**15.15**

22. प्रावधान :

31.03.2021 को 8.56 करोड़ रुपये के वेतन संशोधन प्रावधान में से, वर्ष 2021-22 के दौरान श्रेणी-I और श्रेणी-II अधिकारियों के बकाया बकाया के लिए 6.10 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। 2.46 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को 2021-22 के दौरान पूर्व अवधि की आय के रूप में पुनः लिखा गया था। श्रेणी-III और श्रेणी-IV कर्मचारियों के वेतन संशोधन जनवरी 2022 में होना है। इसके लिए जनवरी 2022 से मार्च 2022 की अवधि के लिए 2.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

23. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर के लिए 21,60,164 रुपये प्रदान की गई है। (2020-21 के दौरान लाभ का 3% यानि 7,20,05,457 रुपये) 31.03.2022 तक सीएसआर देनदारी 73,31,739 रुपये है।

24. सेवा शुल्क

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने संपदा किराया, जेट्टी पर किराया, लाइसेंस शुल्क, अग्रिम भुगतान पर मैसर्स आईजीटीपीएल से रॉयल्टी पर दी गई सेवा एँ, और सेनवैट क्रेडिट , अयोग्य सेनवैट क्रेडिट , सुरक्षा सेवाओं के लिए सीआईएसएफ आनुपातिक शुल्क , कानूनी शुल्क, एमपीएसओ चालान पर सेवा कर का गैर-भुगतान, निर्णीत हर्जाना आदि पर दी गई सेवाओं पर सेवा शुल्क के गैर संग्रहण के लिए कुल 70.17 करोड़ रुपये का दावा करते हुए 25 कारण बताओं नोटिस जारी किया है। कानूनी राय के आधार पर, पोर्ट ट्रस्ट ने अपील दायर की है और सभी मामले उचित प्राधिकरण/न्यायाधिकरण/केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

25. आय कर

ए) आयकर निर्धारण मूल्यांकन वर्ष 2018-19 तक पूरा हो गया है।

बी) वर्ष 2021-22 के दौरान , मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए 14.05 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड (ब्याज सहित) प्राप्त हुआ।

सी) माननीय आईटीएटी के आदेश के अनुसार पिछले मूल्यांकन वर्षों की आय के अधिक आवेदन पर विचार करने हेतु मूल्यांकन वर्ष 2007-08 के लिए पत्तन द्वारा दायर किए गए सुधार याचिका क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास लंबित है।

26. **आस्थगित कर**

आय एएस-22 पर करों के लिए लेखांकन पर लेखा मानक के संदर्भ में भविष्य में कर योग्य मुनाफे की आभासी/उचित निश्चितता के अभाव में खातों में आस्थगित कर संपदा (नेट) को स्वीकार नहीं किया गया है।

27. **आर्बीट्रेशन व कानूनी कार्यवाही**

ए) मेसर्स आईजीटीपीएल ने आर्बीट्राल ट्रीबूनाल के समक्ष 300 करोड़ रुपये का दावा दायर किया है, जवाब में पोर्ट ने में 1070.71 करोड़ रुपये का जवाबी दावा किया है जिसमें, पूंजीगत व अनुरक्षण ड्रेजिंग कार्य, पोत संबंधी प्रभारों में छूट के कारण नुकसान, सुविधाओं के उपयोग के कारण राजस्व हिस्सेदारी का नुकसान, आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती की लागत एवं 01.04.2005 से 28.02.2011 तक आईजीटीपीएल में प्रतिनियुक्त पोर्ट कर्मचारियों के संबंध में अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी योगदान की प्रतिपूर्ति आदि शामिल है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 12.05.2017 को अवॉर्ड पारित किया। लाइसेंस अवधि शुरू होने की तिथि संबंधी मामला आईजीटीपीएल के पक्ष में गया। आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती संबंधी लागत और अवकाश वेतन , पेंशन व ग्रेच्युटी योगदान की प्रतिपूर्ति के मुद्दे के संबंध में , न्यायाधिकरण ने कहा कि आईजीटीपीएल को लागत वहन करना है , लेकिन भुगतान की जाने वाली राशि को विनिर्दिष्ट नहीं किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि पार्टियों को दावेदार द्वारा भुगतानयोग्य राशि को तय करना होगा और यह सुलह आपस में मिलकर करना होगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के विशेषज्ञ की राय

के आधार पर सीओपीटी ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 16.08.2017 को पारित अवॉर्ड के खिलाफ जिला न्यायालय, एरणाकुलम में 12.05.2017 को याचिका दायर की। 12.05.2017 को पारित आर्बिट्रल अवॉर्ड को चुनौती देते ओपी (आर्बि) सं.866-2017 लंबित है।

बी) मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि., जो "वर्ष 2007-08 के लिए कोचिन पोर्ट में चैनलों के अनुरक्षण हेतु ड्रेजिंग कार्य" के अनुबंध को कार्यान्वित किया था, ने अनुबंध में आर्बिट्रेशन खण्ड को शुरू किया एवं 3.51 करोड़ रुपये का दावा किया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 15.05.2013 को पारित आर्बिट्रेशन अवॉर्ड में कोचिन पोर्ट को दावे कि तिथि(19.04.2012) से अवॉर्ड पारित होने की तिथि तक सालाना 9% ब्याज दर के साथ मेसर्स जैशु शिपिंग कंपनी को 0.87 करोड़ रुपये एवं उसी दर में भुगतान होने की तिथि तक भुगतान करने का निर्देश दिया। इस अवॉर्ड से असंतुष्ट कोचिन पोर्ट ने 15.05.2013 को एरणाकुलम के माननीय जिला न्यायालय में आर्बिट्रेशन व सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को चुनौती दी। माननीय जिला न्यायालय ने अपने आदेश दि.31.01.2020 के अनुसार ओ.पी.(आर्बि) सं.512/2013 को ख़ारिज किया, जो पोर्ट को 29.02.2020 को प्राप्त हुआ। पोर्ट ने 03.03.2020 को विधि सलाहकार मेसर्स जोसफ एण्ड कुरियन से इस आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने के अवसर के संबंध में कानूनी राय मांगा है। विधि सलाहकारों की राय के आधार पर कि अधिनियम की धारा 37 के तहत आगे अपील दायर करने की कोई गुंजाइश कोई नहीं है , ओ.एस संख्या.175/2011 में निर्णय और डिक्री के तहत इस संदर्भ में मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड , कांडला से पोर्ट को देय राशि 19-04-2012 से भुगतान किए जाने तक प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कांडला को देय राशि यानी रु.87 लाख रुपये के समायोजन एवं इस मामले को बंद करने के लिए इसे अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था, जैसा कि नीचे वर्णित है।

मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा.लि. से देय प्रायोजन शुल्क के संबंध में मुकदमा को 26.09.2013 को कोचिन पोर्ट के पक्ष में वोल्वो ओशन रेस के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2.98 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। पोर्ट द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, कोचिन पोर्ट डिक्री की तिथि से 12 वर्षों के भीतर राशि की वसूली के लिए निष्पादन याचिका दायर कर सकता है। हालांकि, इसके लिए मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली संपत्तियां जिनके पास संलग्न करने के लिए कोई भार नहीं है , उनकी पहचान की जानी है और अन्य सिविल प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

पहले ओएस 175/2011 में डिक्री के निष्पादन के लिए जांच में मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा . लिमिटेड की कोई संपत्ति नहीं पाई गई थी। चूंकि सीओपीटी के पक्ष में डिक्री मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा . लिमिटेड को देय राशि से काफी अधिक है कानूनी सलाहकार मेसर्स जोसफ एण्ड कुरियन अधिवक्ताओं ने पहले समायोजन की मांग करते हुए मेसर्स जैसू को एक पत्र जारी करके

इसे समायोजित करने का विचार किया और उसके बाद या तो समायोजन दर्ज करने के लिए या डिक्री की कुर्की के लिए अदालत में आवेदन दायर करने के लिए कदम उठाने होंगे। बाद में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा . लिमिटेड को समायोजन के लिए दिनांक 13.04.2021 का एक पत्र जारी किया गया है। हालांकि, कोई इस पर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा.लिमिटेड से उन्हें देय राशि का समायोजन करने के बाद बकाया राशि की वसूली के लिए कोचिन पोर्ट द्वारा निष्पादन याचिका दायर की जानी है। इसके लिए संपत्तियों की पहचान करनी होगी। हालांकि कोचिन पोर्ट ने अन्य स्थानों से जानकारी का अनुरोध करके मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा .लिमिटेड की संपत्ति की पहचान करने का प्रयास किया। केवल गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने यह बताते हुए उत्तर दिया है कि मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा.लिमिटेड के 4 बार्ज उनके साथ पंजीकृत है। इस मामले पर विधि सलाहकार मेसर्स जोसफ एण्ड कुरियन के साथ चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि एक ही अलग कंपनी होने के कारण कुर्की करना मुश्किल होगा। हालांकि, कॉरपोरेट संगठन से कुर्की का प्रयास करने के लिए वकील ने हमें उक्त फर्म के स्थान की पहचान करने का प्रयास करने के लिए कहा है। तदनुसार, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को एक पत्र दिनांक 07.03.2022 भेजा गया जिसमें बार्जों का स्थान प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। उत्तर की प्रतीक्षा है।

सी) अनुबंध संख्या 52 वर्ष 2008-09 के अंतर्गत 01.09.2008 से 31.12.2010 तक कोचिन पोर्ट के अनुरक्षण ड्रेजिंग एवं 14.50 मीटर ड्राफ्ट कंटेनर जहाज़ों के लिए यथा अपेक्षित गहराई प्रदान करने हेतु आईसीटीटी बर्थ बेसिन एवं आप्रोच चैनल के पूंजीगत ड्रेजिंग के लिए अनुबंध मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. को सौंपा गया था, जो प्रदेय प्रदान करने में असफल रहा जिसके कारण पोर्ट द्वारा भुगतान को रोक दिया गया। जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत 19.25 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को 2011-12 में नकदीकरण किया गया। पार्टी ने इसके बाद अनुबंध में आर्बिट्रेशन क्लॉज लागू किया। केरल के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. ने पुनर्गठित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष उनके द्वारा लगाए गए सभी अतिरिक्त दावों के साथ 795 करोड़ रुपये की संशोधित दावा प्रस्तुत किया है जिसके लिए सीओपीटी ने अपने बचाव में बयान प्रस्तुत किया है। मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि.ने पहले से किए गए काम के लिए अंतिम बिल के भुगतान , सुरक्षा जमा की जारी व प्रतिदेय, प्रतिधारण राशि एवं नकदीकृत निष्पादन गारंटी के भुगातान का भी दावा किया है। पोर्ट ने 332 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दावेदार की दलीलें ने सुन वाई की गई। चूँकि जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. ने कई सुनवाई के लिए आर्बिट्रेटर की फीस के भुगतान में चूक किया है, उनके द्वारा प्रस्तुत दावों की कार्यवाही को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने समाप्त कर दिया और उसके बाद केवल सीओपीटी के जबावी दावा की सुनवाई की जाएगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की अंतिम बैठक 14.03.2020 को हुई थी। दावेदार के वकील ने अपना वकालत वापस ले लिया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के

निर्देश के अनुसार प्रतिवादी के कानूनी वकील ने दावेदार को व्यक्तिगत रूप से या नए वकील के माध्यम से पेश होने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 03.04.2020 निर्दिष्ट करते हुए नोटिस दिया। परन्तु कोविद-19 महामारी के कारण 03.04.2020 को होने वाली बैठक को अगली तिथि वि निर्दिष्ट किए बिना स्थगित कर दिया गया। इस बीच पीठासीन आर्बीट्रेटर का 05.10.2020 को निधन हो गया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अभी तक पुनर्गठन नहीं किया गया है।

चूंकि आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है परिणामतः अनुरक्षण ड्रेजिंग के लिए जनवरी 2011 एवं मार्च 2011 के लिए 3.69 करोड़ रुपये की बिल को पास नहीं किया गया है।

डी) मेसर्स जखाउ साल्ट कंपनी प्रा.लि. द्वारा मट्टांचेरी वार्फ़ के पतन के कारण 1.47 करोड़ रुपये की माल के नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया गया था जो पोर्ट के खिलाफ़ गया। पोर्ट ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, जो अभी भी लंबित है।

ई) कोचिन पोर्ट में 110 केवी सब-स्टेशन और तत्संबंधी कार्यों की स्थापना और कमीशनिंग कार्य 16.03.2007 को मेसर्स सीमेंस लिमिटेड, चेन्नई को दी गई और मेसर्स सीमेंस लिमिटेड को समझौते के अनुसार 12 महीने की अवधि में इस कार्य को पूरा करना था। चूंकि काम पूरा करने में 9 महीने की देरी हुई, इसलिए समझौते के अनुसार अंतिम भुगतान करते समय , 1.76 करोड़ रुपये निर्णीत हर्जाना की कटौती की गई। आर्बिट्रेशन अवॉर्ड पोर्ट के खिलाफ था और इसलिए पोर्ट ने माननीय जिला न्यायालय , एरणाकुलम के समक्ष अवॉर्ड के खिलाफ अपील की। सुनवाई चालू है। पिछली सुनवाई 29.03.2022 को हुई और 19.05.2022 को अगली सुनवाई होनी है।

एफ) कोचिन पोर्ट ने दो 45 टन बोलार्ड पुल टॉग के निर्माण और वितरण के लिए मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड, चेन्नई के साथ एक अनुबंध किया है। चूंकि टॉगों की डिलीवरी में देरी हो रही थी कोचिन पोर्ट ने ठेकेदार से 8.09 करोड़ रुपये की निर्णीत हर्जाना की वसूली किया। उन्होंने कोचिन पोर्ट के उपरोक्त निर्णय पर आपत्ति जताई और मामला आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया। ठेकेदार के दावे को खारिज करते हुए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 10.09.2013 को एक अवॉर्ड पारित किया और सीओपीटी के 8.09 करोड़ रुपये की राशि को बरकरार रखने के दावे को सही ठहराया गया था। इसके बाद मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड ने ब्याज के साथ 8.09 करोड़ रुपये की निर्णीत हर्जाना जारी करने हेतु निर्देश देने एवं अवॉर्ड को निरस्त करने के अनुरोध के साथ माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के समक्ष 21.12.2013 को अपील दायर किया। कोचिन पोर्ट ने मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के बयान पर आपत्तियां दर्ज कीं। न्यायालय की कार्यवाही जारी है। पिछली सुनवाई 14.08.2020 को हुई। हालांकि पोर्ट के विधि सलाहकार ने सूचित किया कि नई वाणिज्यिक न्यायालय अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त मामला प्रधान उप-न्यायालय एरणाकुलम को स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधान उप-

न्यायालय में आगे की कार्यवाही शुरू होनी बाकी है। पिछली सुनवाई 30.03.2022 को निर्धारित की गई थी लेकिन 24.06.2022 तक स्थगित कर दी गई है।

जी) पोर्ट ने मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई टॉगों में पाई गई कमिओं को ठीक करने के लिए पोर्ट द्वारा खर्च किए गए राशि को 15% ब्याज दर के साथ 1.05 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोच्ची के माननीय उप न्यायालय के समक्ष मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के विरूद्ध 28.03.2014 को एक सिविल मामला दायर किया है। उन्होंने माननीय उप न्यायालय, कोच्ची के समक्ष अनुबंध दिनांक 05.10.2006 के खंड 45.0 के संदर्भ में यथा निर्धारित मामले को आर्बिट्रेशन के लिए प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने के अनुरोध के साथ 06.02.2015 को एक हलफ़नामा दायर किया है। न्यायालय ने मामले को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने का निर्देश दिया था और दोनों पक्षों ने आर्बिट्रेटर नियुक्त किए हैं। हालांकि, मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नामित आर्बिट्रेटर ने मेसर्स टेबमा शिपयार्ड को सूचित किया कि वह उपरोक्त विवाद में आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। इस बीच मेसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने टेबमा शिपयार्ड को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में ले लिया है। इस मुद्दे को मेसर्स सीएसएल के साथ उठाने के लिए मामले की जांच की जा रही है।

एच) विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ 75 दिनों (लगभग 1.58 करोड़ रुपये) से अधिक संग्रहित अतिरिक्त जमीन के किराए के प्रतिदाय संबंधी केरल के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास मामले लंबित हैं।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 की सिविल अपील संख्या 2525 पर दिनांक 05.08.2020 के अपने निर्णय में अपेक्षित निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह के मध्य स्टीमर एजेंटों की देयता की पुन: गणना और और शेष राशि संबंधित पक्षों को वापस करने के लिए अपीलकर्ता (कोचिन पोर्ट) को आदेश दिया है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार , कोचिन पोर्ट ने पत्र संख्या ए6/एसएलपी/2012/2017/टी दिनांक: 19.07.2021 द्वारा आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और सभी पक्षों से अनुरोध किया कि वे कंटेनर के विवरण के साथ इस संबंध में किए गए भुगतान के साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करें। हालांकि, केवल एक एजेंट, मेसर्स मराईन कंटेनर सेवाएं (आई) प्रा.लिमिटेड ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं और कोचिन पोर्ट ने इस कंपनी को 15.09.2021 को 2,36,360/- रुपये वापस कर दिए हैं।

इस मामले के अन्य पक्षों ने अभी तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कि ए हैं और अन्य पक्षों के पते का पता लगाने के लिए पत्तन के सभी प्रयास व्यर्थ थे। इस मामले को विधि सलाहकार के साथ उठाया जाएगा।

आई) सीओपीटी ने उप न्यायालय, कोच्ची में पुत्तुवाईपीन में एसईजेड क्षेत्र को सीधी सड़क संयोजकता प्रदान परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में निष्पादकों/दावेदारों द्वारा निष्पादित निष्पादन याचिका में सशर्त स्थगन आदेश के लिए डिक्री ऋण का 50%यानि 1.07 करोड़ रुपये अग्रीम जमा किया है। शेष राशि का प्रेषण अंतिम निर्णय के अधीन है। पुत्तुवाईपीन एसईजेड के सह-डेवलपरों यानि पीएलएल, बीपीसीएल-केआर और आईओसीएल से सीओपीटी द्वारा अग्रीम जमा 50% राशि में उनके हिस्से की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया गया था एवं सभी तीन सह-डेवलपरों ने अपने हिस्से की 26.97 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

जे) मेसर्स लॉट्स शिपिंग लि. ने निविदा में अनुमानित मात्रा , चार्टर लागत/प्रतिदिन, कर्मचारियों के अनुरक्षण की लागत, करों और प्रभारों का भुगतान, लगातार मरम्मत की लागत और लाभ की हानि की तुलना में कम औसत दैनिक मात्रा के नुकसान के लिए 14.346 करोड़ रुपये का दावा करते हुए विल्लिंगडन आईलैण्ड एवं बोलघाटी के बीच रो-रो/लो-लो बार्ज सेवा के परिचालन के संबंध में सीओपीटी के विरूद्ध आर्बिट्रेशन शुरू किया है। अनुबंध शर्तों के अनुसार मेसर्स लॉट्स शिपिंग लिमिटेड की ओर से डिफ़ॉल्ट/देय राशि के आधार पर कोचिन पोर्ट ने व्यापार हानि, टर्मिनल उपयोग शुल्क का भुगतान न करने, पार्किंग शुल्क, क्षतिपूर्ति आदि के लिए 15.905 करोड़ रुपये का जबावी दावा उठाया है। दि.26.09.2019 को पारित आर्बिट्रेशन अवॉर्ड के अनुसार मेसर्स लॉट्स शिपिंग (दावेदार)को अवॉर्ड की तिथि से प्राप्ति तक सीओपीटी (प्रतिवादी) से 9% ब्याज के साथ 57 ,99,411/- रुपये वसूल करने का अवॉर्ड प्राप्त हुआ है। कोचिन पोर्ट द्वारा लगाए गए सभी जवाबी दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। कोचिन पोर्ट ने जिला न्यायालय , एरणाकुलम में आर्बिट्रेशन व सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत आर्बिट्रेशन (ओ.पी.) संख्या 5 ऑफ 2020 आवेदन दायर किया है, जो लंबित है।

इस दौरान, मेसर्स लॉट्स शिपिंग ने अगर कोचिन पोर्ट 31.07.2021 को या उससे पहले 32,75,793 रुपये का एकमुश्त भुगतान करने के लिए तैयार है (यानि , 57,99,411 रुपये का 50% + 9% ब्याज 57,99,411 रुपये के 50% पर और 05.03.2021 सहित) तो जुलाई 2021 में दी गई राशि के 50% की छूट के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मेसर्स लॉट्स शिपिंग के प्रस्ताव को स्वीकार करने के संबंध में आईडब्ल्यूएआई की सहमति मांगी गई है। आईडब्ल्यूएआई की सहमति की प्रतीक्षा है।

के) कोचिन पोर्ट ने 3 महीने की समापन अवधि के साथ 02.07.2012 को कुल अनुबंध मूल्य रु.16,77,000/- के साथ मेसर्स अंब्लीगोला एक्सपोर्टर्स, बेंगलूरू को कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह में 3, 20 मीटर हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग" के लिए कार्यादेश जारी किया था। लेकिन ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने में पांच महीने की देरी हुई। फर्म द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल से रु.5,02,278/- राशि की कटौती की गई, जिसमें एलडी के लिए केबल खाइयों के प्रभार को बहाल करना और क्रमशः जेसीबी का उपयोग करके नींव के गड्ढे को भरना

आदि के लिए क्रमशः तीन राशियां 1 ,59,825/-, 3,40,578/- और 1875/- रुपए शामिल हैं।

मेसर्स अंब्लीगोला एक्सपोर्टर्स ने कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ माननीय मुंसिफ कोर्ट , कोच्चि के समक्ष मामला दायर किया। कोर्ट का फैसला प्लांटिफ मेसर्स अंब्लीगोला एक्सपोर्टर्स के पक्ष में गया, जिसमें सीओपीटी को मेसर्स अंब्लीगोला एक्सपोर्टर्स को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 5,16,708/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। माननीय मुंसिफ कोर्ट द्वारा 15.03.2019 को पारित निर्णय के खिलाफ माननीय जिला न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई है। पिछली सुनवाई 21.01.2021 को आयोजित की गई थी। निचली अदालत के रिकॉर्ड जमा करने के लिए मामला को 02.06.2021 को पोस्ट किया गया।

चूंकि कोचिन पोर्ट द्वारा ए. प्रभाकर शेट्टी (मैसर्स अंब्लीगोला एक्सपोर्टर्स , बैंगलोर के मालिक)के खिलाफ जिला न्यायालय, एरणाकुलम में 42/2019 दायर किया गया है जिसकी पेशी 25.03.2022 को आया था एवं न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 21.05.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया।

एल) विल्लिंगडन आईलैण्ड के विभिन्न स्थानों पर हॉल्ट क्षेत्र में यूजी टैंकों से 200 मिमी डक्टाइल आयरन पंपिंग लाइन उपलब्ध कराने और सड़क सुधार के कार्य 1.91 करोड़ रुपये मूल्य के साथ कार्यादेश 12.05.2015 को मेसर्स ईस्ट इंडिया इंजीनियर्स को सौंपा गया था । ठेकेदार ने रेलवे प्राधिकारियों से लंबित अनुमोदन के कारण 3 रेलवे क्रासिंग को छोड़कर पाइप बिछाने का कार्य पूरा किया लेकिन सड़क सुधार कार्य पूरा नहीं किया गया।। ठेकेदार ने प्रतिधारण राशि जारी करने और सड़क सुधार कार्य आदि को क्रियान्वित करने के लिए संशोधित दरों से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए और इस कार्य के लिए एकमात्र आर्बीट्रेटर नियुक्त किया। एकमात्र आर्बीट्रेटर द्वारा जारी अंतिम आदेश के अनुसार , ठेकेदार 74.59 लाख रुपये के दावा के पात्र है और पोर्ट 18.48 लाख रुपये के दावों के लिए पात्र है। पोर्ट ने माननीय जिला न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी है। 23.12.2021 को सुनवाई पर माननीय न्यायाधीश , वाणिज्यिक न्यायालय के प्रधान उप न्यायालय, एरणाकुलम ने प्रतिवादियों की लागत के साथ कोचिन पोर्ट अथॉरिटी की याचिका को खारिज करते हुए एक आदेश जारी किया।

सोल आर्बिट्रेटर के अवॉर्ड दिनांक 26.03.2018 को बरकरार रखते हुए अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.12.2021 के आदेश के खिलाफ वाणिज्यिक अदालत (प्रिंसिपल सब जज) , एरणाकुलम के ओपी आर्बिट्रेशन नंबर 70/2020 में आर्बिट्रेशन अपील दायर किया गया है।

ईस्ट इंडिया इंजीनियर्स के खिलाफ कोचिन पोर्ट द्वारा दायर आर्बिट्रेशन अपील संख्या 9/2022 को डिवीजन बेंच के समक्ष 07.04.2022 को पोस्ट किया गया था और अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है।

एम) "वर्ष 2017-18 के लिए कोचिन पोर्ट में चैनलों और बेसिनों के अनुरक्षण के लिए ड्रेजिंग" कार्य 88.511 करोड़ रुपये की लागत पर मेसर्स डीसीआईएल मुक्त निविदा के आधार पर सौंपा गया।

अनुबंध में दो भाग शामिल हैं, जैसे कि (i) भाग-ए-एकमुश्त आधार- 75.041 करोड़ रुपये एवं (ii) भाग-बी-आवश्यकता/मात्रा आधार-13.47 करोड़ रुपये। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध के एकमुश्त भाग के तहत आने वाले पूरी चैनल में (-) 15.90 मीटर की गहराई बनाए रखना है।

डीसीआई द्वारा यह बताया गया कि पूर्व ड्रेज सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 8 मिलियन क्यूबीक मीटर की बैक लॉग मात्रा थी जिसे (-) 15.90 m की गहराई प्राप्त करने के लिए हटाया जाना है और काम शुरू करने की तिथि से पूर्ण गहराई बनाने के लिए दी गई समय अवधि 2 माह है। डीसीआई ने उन्हें बिना किसी जुर्माना के अनुबंध को पूरा करने तक उन्हें सौंपे गए चैनल और बेसिन बनाए रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है । चूँकी कि डीसीआई के दावे समझौते की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, कोचिन पोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।

न्यासीमण्डल ने 2 माह की स्वीकार्य अवधि के बाद अनुबंध के एकमुश्त हिस्से के तहत आने वाले चैनलों में गहराई से भारी कमी को देखते हुए संकल्प संख्या 127 (कार्यसूची मद सं.बी4) में निम्नलिखित को अनुमोदन करने का संकल्प लिया, (ए) कार्यसूची मद संख्या बी 4 में एएमआरसीडी के माध्यम से विवादों को निपटाने के मद्देनजर 19-02-2018 के पूर्व किए गए सर्वेक्षण के आधार पर मेसर्स डीसीआई के साथ चल रहे अनुबंध को जारी रखना एवं (बी) जब तक विवादों को एएमआरसीडी के माध्यम से हल नहीं किया जाता है निष्पादित कार्य के लिए मई 2018 से डीसीआई के मासिक बिलों के खिलाफ भुगतान जारी करना , जैसे कि : (i) भाग ए एकमुश्त आधार के तहत सकल बिल राशि के लिए 75%की दर से;(ii) भाग बी-आवश्यकता/मात्रा आधार के तहत किए गए कार्य के लिए पूर्ण भुगतान ; (iii) गहराई और चौड़ाई में कमी के कारण गैर प्रदर्शन के लिए वसूली को छोड़कर, अनुबंध के निष्पादन के लिए डीसीआई द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए शुल्क वसूल करना और समझौते की शर्तों के अनुसार अन्य वसूलियाँ , एवं (iv) ड्रेजिंग समिति द्वारा यथा अनुशंसित ऊपर दिए गए भुगतान के आधार पर ईंधन मूल्य भिन्नता भुगतान को प्रभावित करने। तदनुसार, मई 2018 की अवधि के लिए डीसीआई द्वारा उठाए गए बिलों का भुगतान किया गया। तदनुसार, डीसीआई द्वारा मई 2018 से आगे की अवधि के लिए उठाए गए बिलों का भुगतान डीसीआई को जारी किया गया था।

बोर्ड संकल्प संख्या 197 दि. 20.02.2020 के अनुमोदन के साथ 11.10.2019 को आयोजित अपनी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कोचिन पोर्ट के पत्र दि.06.03.2020 में मूल्य कार्य के संबंध में विवादों के निपटान हेतु आईआईटी, मद्रास के महासागर अभियंत्रण विभाग के प्रोफेसर आर. सुंदरवडिवेलु को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। सुलहकर्ता द्वारा जारी किए गए अवॉर्ड दिनांक 20.06.2020 के अनुसार यह सिफ़ारिश की गई थी कि रोकी गई बिल राशि के 25% में से , कोचिन पोर्ट 10% राशि के साथ-साथ सुरक्षा जमा भी रख सकता है और बिल राशि का 15% डीसीआई को जारी कर सकता है। तदनुसार [संकल्प सं.50 (एजेंडा मद संख्या बी2) दिनांक 28.08.2020] में बोर्ड का विधिवत अनुमोदन लेते

हुए सुलहकर्ता के आदेश के अनुसार डीसीआई का वचन प्राप्त करना कि 11.95 करोड़ रुपये और जीएसटी (कुल राशि 14.09 करोड़ रुपये) जारी करना विषय अनुबंध के लिए पूर्ण और अंतिम समझौता है, और डीसीआई किसी भी फोरम में विषय अनुबंध पर आगे कोई दावा नहीं करेगा , भाग ए बिल राशि की 15% राशि [मार्च और अप्रैल 2018 को छोड़कर] जीएसटी के साथ रु. 14.09 करोड़ रुपये डीसीआईएल को जारी किया गया था।

इसके बाद, डीसीआईएल ने पत्र दिनांक 22.01.2021 और 23.10.2021 द्वारा रोके गए 5.59 करोड़ रुपये की एसडी राशि जारी करने का दावा किया। हालांकि, कोचिन पोर्ट उनके अनुरोध पर सहमत नहीं हुआ है, और पोर्ट के विधि सलाहकार मेसर्स मेनोन और पाई के विधिवत सलाह लेते हुए, कोचिन पोर्ट ने पत्र 25.11.2021 के माध्यम से डीसीआईएल को सूचित किया कि डीसीआईएल के दिनांक 16.09.2020 के बिना शर्त कार्यान्वयन को देखते हुए उक्त भुगतान सुलहकर्ता की सिफारिशों के अनुसार विषय अनुबंध के लिए पूर्ण और अंतिम समझौता है और यह कि डीसीआईएल किसी अन्य फोरम में इस विषय अनुबंध पर कोई और दावा नहीं करेगा , डीसीआईएल कानूनी रूप से अक्षम्य विवाद उठाकर निपटान को फिर से खोलने का हकदार नहीं है और इसलिए, कोचिन पोर्ट सुरक्षा जमा राशि वापस करने के डीसीआईएल के दावे को स्वीकार करने में असमर्थ है।

एन) कोचिन पोर्ट के पुत्तुवाईपीन में अभियंत्रण, खरीद एवं निर्माणपर आईओसीएल के जमा कार्य के लिए अनुबंध ,"अनुबंध के आधार पर बहु-प्रयोक्ता द्रव्य टर्मिनल "भाग:ए- समझौता संख्या 16, वर्ष 2015-16 एवं समझौता संख्या 16, वर्ष 2015-16 के अनुपूरक समझौता के अधीन एमयूएलटी जेट्टी के अंतर्गत कार्य का अवसर मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. को सौंपा गया था, जो विनिर्दिष्ट विस्तारित अनुबंध अवधि के भीतर काम पूरा नहीं कर सका।लिहाजा , निर्णीत हर्जाना वसूल किया गया। उन्होंने वसूल किए गए निर्णीत हर्जाना का प्रतिदेय, उपकरण के किराया शुल्क, श्रम के लिए अतिरिक्त शुल्क , बैंक गारंटी, मूल्य वृद्धि, विस्तारित अवधि के दौरान व्यापार की हानि, बोनस, विविधताओं के लिए अतिरिक्त भुगतान आदि के लिए रु.84,76 करोड़ दावा करते हुए 27.04.20219 को आर्बिट्रेशन शुरू किया। कोचिन पोर्ट और आईओसीएल द्वारा दायर किए गए प्रतिदावे क्रमश: 31.06 करोड़ रुपये और 43.98 करोड़ रुपये हैं। आर्बीट्रेटर की कार्यवाही प्रगति पर है।

ओ) कोचिन पोर्ट के पुत्तुवाईपीन में अभियंत्रण, खरीद एवं निर्माणपर आईओसीएल के जमा कार्य के लिए अनुबंध,"अनुबंध के आधार पर बहु-प्रयोक्ता द्रव्य टर्मिनल " का निर्माण कार्य-भाग बी : बार्ज जेट्टी (2015-16 का समझौता संख्या 17 और 2015-16 का समझौता संख्या 17 के लिए अनुपूरक समझौता) के अंतर्गत कार्य मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था, जो विनिर्दिष्ट विस्तारित अनुबंध अवधि के भीतर काम पूरा नहीं कर सका। लिहाजा, निर्णीत हर्जाना वसूल किया गया। उन्होंने वसूल किए गए निर्णीत हर्जाना का प्रतिदेय, उपकरण के किराया

शुल्क, श्रम के लिए अतिरिक्त शुल्क , बैंक गारंटी, मूल्य वृद्धि, विस्तारित अवधि के दौरान व्यापार की हानि, बोनस, विविधताओं के लिए अतिरिक्त भुगतान आदि के लिए 17.26 करोड़ रुपये का दावा करते हुए आर्बिट्रेशन शुरू किया। 12.57 करोड़ रुपये के लिए कोचिन पोर्ट द्वारा दायर किए गए जवाबी दावों की आर्बीट्रेशन कार्यवाही प्रगति पर है।

पी) मेसर्स जीपीटी जीओ(जेवी) ने "वल्लारपाडम में जीआईडीए ब्रीज संख्या 2 के सुधार समेत फ्लाईओवर व आरओबी के निर्माण " कार्य पूरा होने में देरी के कारण उनके विभिन्न शुल्कों के मुआवजे के लिए 11.74 करोड़ रुपये दावा करते हुए 3.10.2018 को आर्बिट्रेशन शुरू किया। उपरोक्त दावों को मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 02.11.2018 को खारिज कर दिया गया और ठेकेदारों की अपील दिनांक 16.11.2018 को भी अध्यक्ष द्वारा 15.12.2018 को खारिज कर दिया गया। ठेकेदारों ने दिनांक 01.01.2019 के पत्र द्वारा जीसीसी के खंड 25 को लागू करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत 3 आर्बीट्रिटरों की सूची में से एकमात्र आर्बीट्रिटर नियुक्त करने का अनुरोध किया। इसे कोचिन पोर्ट द्वारा 22.01.2019 को पोर्ट के विधि परामर्शदाता मेसर्स मेनोन एंड पाई की राय के आधार पर खारिज कर दिया गया था। ठेकेदारों ने 11.04.2019 को केरल के माननीय उच्च न्यायालय में आर्बीट्रेशन अनुरोध दायर किया।

केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.09.20219 के निर्णय द्वारा श्री. पी. भवदासन (केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) आर्बीट्रिटर के रूप में नियुक्त किया। ठेकेदारों ने आर्बीट्रेशन ट्रीब्यूनल के समक्ष 11.56 करोड़ रुपये की मांग की थी।

दि.20.02.2020 को आयोजित कोचिन पोर्ट के बोर्ड ने मेसर्स जीपीटी जियो जेवी और कोचिन पोर्ट के बीच विवादों का संदर्भ एकमात्र आर्बीट्रिटर श्री पी भवदासन को दिया और मूल कार्य के लिए कोचिन पोर्ट के पास उपलब्ध परियोजनाओं की शेष निधि से आर्बीट्रेशन व्यय को पूरा करने का अनुमोदन किया और मुख्य अभियंता को आर्बीट्रेशन कार्यवाही के संबंध में आवश्यक सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया।

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की पहली बैठक 18/02/2020 को हुई और मील के पत्थर की तारीखों को अंतिम रूप दिया गया। कोचिन पोर्ट ने 11.09.2020 को 11.05 करोड़ रुपये के लिए जवाबी विवरण और जवाबी दावा दायर कि या। आर्बीट्रेशन ट्रीब्यूनल की अगली बैठकें 18.03.2020 , 22.06.2020, 26.06.2020, 14.08.2020, 14.10.2020, 16.11.2020, 17.12.2020, 14.01.2021, 15.03.2021, 20.03.2021 और 29.03.2021 को आयोजित की गईं जिसमें 15.03.2021, 29.03.2021,02.08.2021, 05.08.2021, 06.08.2021, 25.08.2021, 26.08.2021, 31.08.2021, 02.09.2021, एवं 06.09.2021 को अध्यक्ष के पक्ष की मौखिक सुनवाई हुई। प्रतिवादी पक्ष की मौखिक सुनवाई 08.09.2021 एवं 14.09.2021 को संपन्न हुई।

ठेकेदारों द्वारा अनुबंध पर सुधार कार्यों के संबंध में 2 और अतिरिक्त दावा संबंधी याचिका के बाद और प्रतिधारण धन की वापसी में देरी के संबंध में , केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.09.2021 के निर्णय द्वारा ठेकेदारों को वर्तमान आर्बिट्रिटर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पी भवदासन

के समक्ष अपने दावों पर विचार करने के लिए संपर्क करने का निर्देश दिया। तदनुसार, उन्होंने अर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की और कोचिन पोर्ट ने 21.01.2022 को अपने पक्ष के बचाव बयान और अतिरिक्त बयान दायर किए। ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 05.04.2022 को पुनर्निर्धारित की गई है।

क्यू) 'कोचिन पोर्ट में भारत सरकार के लिए जेट्टी और संबद्ध सुविधाओं का निर्माण' हेतु अनुबंध सौंपने का कार्य मेसर्स मैरी मा ता इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा .लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स मैरीमा ता कंस्ट्रक्शन कंपनी) 14.05.2020 को पूरा किया गया था। उनके द्वारा 'अदावा प्रमाणपत्र' जमा करने पर मई 2020 में फाइनल बिल भी जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् 10.09.2020 को कार्य के निष्पादन के दौरान प्रस्तुत किए गए कुछ पत्रों का हवाला देते हुए , मुख्य अभियंता से उनके दावों का निपटारा करने का अनुरोध किया गया था , लेकिन इस पर यह कहते हुए विचार नहीं किया गया था कि 'अदावा प्रमाणपत्र' जारी करने से संबंधित कार्यों में सभी दावे मौजूद नहीं रह गए थे। फिर अधिक दावों के साथ अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर की गई , जिसे भी खारिज कर दिया गया। परिणामतः उन्होंने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में अपील किया और न्यायालय ने एआर 8/2021 दिनांक 23.11.2021 के निर्णय के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) पयस सी. कुरियाकोस को एकमात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त किया। उन्होंने ब्याज सहित 16.92 करोड़ रुपये के दावे दायर किए हैं।

आर) मेसर्स आईजीटीपीएल को भी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमश: 6.77 करोड़ रुपये, 6.40 करोड़ रुपये और 8.48 करोड़ रुपये की स्क्रिप प्राप्त हुई है। सीएजी और राजस्व लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर कि आईजीटीपीएल ने एसईआईएस स्क्रिप्स की बिक्री पर राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान नहीं किया है , पोर्ट ने हमारे कानूनी सलाहकारों और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय मांगी और आईजीटीपीएल पर मांग उठाई। फिर भी, आईजीटीपीएल ने पत्तन को सूचित किया कि एसईआईएस स्क्रिपों पर रॉयल्टी देय नहीं है। लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.1 के अनुसार , मुद्दे और मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए 02.09.2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी। हालाँकि , यह असफल रहा। इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.2 को लागू करने के लिए पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया। तदनुसार, माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. सिरीजगन को कोचिन पोर्ट और आईजीटीपीएल द्वारा आपसी सद्भाव से एक बाहरी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया है। बाहरी विशेषज्ञ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. सिरीजगन ने एक विस्तृत राय दी और निष्कर्ष निकाला है कि "आईजीटीपीएल द्वारा एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के तीसरे पक्ष को हस्तांतरण से उत्पन्न राजस्व" सकल राजस्व "का गठन करेगा , जैसा कि लाइसेंस समझौते में परिभाषित किया गया है और पार्टियों के बीच लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार , आईजीटीपीएल अनुबंध के अनुसार 33.3% कोचिन पोर्ट के साथ भी साझा करने के लिए बाध्य है। हालांकि, आईजीटीपीएल ने सूचित किया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस सिरी जगन द्वारा प्रस्तुत राय उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

चूंकि अनुच्छेद 15.1 'सौहार्दपूर्ण समझौता' और अनुच्छेद 15.2 'विशेषज्ञ की सहायता ' पर आईजीटीपीएल के साथ लाइसेंस समझौते में विवाद समाधान पर कार्रवाई की गई है और कोई

परिणाम नहीं निकला है , पोर्ट ने लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.3 के अनुसार आर्बिट्रेटर खंड लागू किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की अंतिम सुनवाई 7 और 8 जुलाई, 2022 को तय की गई है।

28. **सेवानिवृत्ति लाभ:**

ए) 31.03.2021 के आंकड़ों के आधार पर एलआईसी द्वारा की गई देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 3,031.33 करोड़ रुपये है। पेंशनभोगियों और मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन की देयता क्रमशः 2,118.41 करोड़ रुपये और 789.00 करोड़ रुपये है , जो कुल मिलाकर 2,907.41 करोड़ रुपये है और मौजूदा कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी देयता लगभग 123.92 करोड़ रुपये है। इसके लिए, कोचिन पोर्ट में 31.03.2022 को पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में क्रमशः 664.17 करोड़ रुपये और 11.24 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है।

बी) पेंशन फंड ट्रस्ट को 353.91 करोड़ रुपये के योगदान में वर्ष के लिए 237.56 करोड़ रुपये की पेंशन संवितरण शामिल है। (पेंशन बकाया 7.05 करोड़ रुपये और कम्यूटेशन एरियर 5.82 करोड़ रुपये सहित)

सी) दि.22.08.2015 को आयोजित कोचिन पोर्ट की बोर्ड बैठक के दौरान पेंशन फंड की खराब स्थिति को देखते हुए पेंशन फंड ट्रस्ट को पूर्ण रूप से भूमि की लीज पर प्राप्त प्रीमियम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। 2021-22 के दौरान एलआईसी के साथ किए गए 116.35 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश में भूमि के पट्टे पर प्रीमियम के रूप में प्राप्त 1.84 करोड़ रुपये शामिल हैं।

29. **अन्य प्रकटीकरण:**

i) **रो-रो परिचालन के लिए आईडब्ल्यूएआई के साथ संयुक्त उद्यम**

रो-रो टर्मिनल 25.02.2011 को परिचालन में आया। आईडब्ल्यूएआई एवं कोचिन पोर्ट के बीच 08.10.2009 को बीई समझौता ज्ञापन के अनुसार बोलगाट्टी एवं विल्लिंगडन आईलैण्ड में रो-रो टर्मिनल के प्रबंधन व परिचालन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त प्रबंधन समिति (जेएमसी) का गठन कर दोनों पक्ष यानि पोर्ट एवं आईडब्ल्यूएआई द्वारा किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन के अनुसार , पोर्ट ठेकेदार से टर्मिनल शुल्क के संग्रह की व्यवस्था करेगा और टर्मिनलों के उपयोग से संबंधित सभी लेनदेन का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करेगा। प्रशासनिक व्यय राजस्व से अर्जित किया जाएगा एवं सृजित शुद्ध अधिशेष के अनुपात 70% आईडब्ल्यूएआई और 30% कोचिन पोर्ट के साथ साझा किया जाएगा। ठेकेदार से टर्मिनल उपयोग शुल्क के रूप में प्राप्त राशि का भुगतान करने हेतु जेएमसी के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला गया।

निविदा शर्तों के अनुपालन में विफलता के कारण पोर्ट ने मेसर्स लॉट्स शिपिंग पार्टी को जून 2017 से परिचालन को रोकने का निर्देश दिया और बाद में पार्टी ने पोर्ट के खिलाफ आर्बिट्रेशन शुरू किया, जिसकी स्थिति इस नोट के क्रमांक 27(जे) में दर्शाई गई है।

31.03.2018 को जेएमसी के लेखा परीक्षित खातों में 35.17 लाख रुपये के संचित लाभ दर्शाये गए हैं। कोचिन पोर्ट के लिए लाभकारी शेयर का 30% यानि 10.55 लाख रुपये को

वर्ष 2017-18 के दौरान कोचिन पोर्ट की लेखा में "विविध प्राप्तियां" के तहत आय के रूप में दर्शाया गया है। लाभ का 70% हिस्सा यानि 24.62 लाख रुपये मेसर्स आईडब्ल्यूएआई को देय है, जिसे कोचिन पोर्ट के खाते में मेसर्स आईडब्ल्यूएआई को देय के रूप में दर्शाया गया है एवं जैसा कि ऊपर बताया गया है,मेसर्स लॉट्स शिपिंग लिमिटेड के साथ विवाद के निपटारे के बाद इसका निपटारा किया जाएगा।

ii) **1996 पूर्व पट्टाधारियों से बकाया देय**

1996 पूर्व पट्टाधारियों के संबंध में, पोर्ट ने वर्ष 2014 में टाम्प अधिसूचित दर 2010 पर आधारित संशोधित लीज भाड़ा लगाया है। हालांकि, कोचिन पोर्ट लीज होल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से केरल के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए और मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 25.02.2015 को अंतरिम आदेश जारी किया गया। इस बीच, संपदा भाड़ा को एक बार फिर से टाम्प अधिसूचना संख्या 304 दिनांक 22.07.2016 में संशोधित किया गया और यह 21.08.2016 से प्रभावी हुआ। पोर्ट द्वारा प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, टाम्प अधिसूचित दर पर बिलों को 21.08.2016 से 1996 पूर्व पट्टाधारियों सहित सभी पट्टों के संबंध में उठाया गया था। हालांकि कोचिन पोर्ट लीजहोल्डर्स एसोसिएशन डब्ल्यूपी(सी) सं.12138/2017 (एन) के साथ 2 अन्य याचिकाकर्ता ओं (1996 पूर्व पट्टाधारी) ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। दिनांक 06.04.2017 के आदेशानुसार वर्द्धित राशि की वसूली के लिए अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने दि.04.09.2019 के निर्णय के अनुसार कोचिन पोर्ट के पक्ष में डब्ल्यूपी सं.5974/2015 एण्ड 29/2015 को खारिज़ कर दिया। तदनुसार कोचिन पोर्ट ने फ़रवरी 2020 को टाम्प 2010 यानि 01.10.2014 से 20.08.2016 तक लीज भाड़ा में अंतर राशि के लिए बकाया बिलों की मांग की। 31.03.2022 तक मुकदमेबाजी के तहत कुल बकाया 3.43 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2.12 करोड़ रुपये उपरोक्त निर्णय से संबंधित है।

iii) **जेट्टियों पर लाइसेंस शुल्क**

पोर्ट, कोचिन पोर्ट(जेट्टियों, स्लीपवेज एण्ड बोट पेंस के लाइसेंसिंग) विनियम, 1968 एवं 1996 में इसके संशोधनों के आधार पर जेट्टियों एण्ड पायरों से लाइसेंस शुल्क संग्रह करता है। शुरू में लाइसेंस शुल्क 1,297 रुपये प्रति जेट्टी प्रति वर्ष था जिसे बाद में उन लोगों, जो दूसरों से संबंधित वल्लम/नौकाओं को बांधने के लिए अपने जेट्टी को किराए पर देते हैं, के लिए 1,00,000 रुपये प्रति जेट्टी प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया । महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 123(एन) के तहत यथा अपेक्षित संशोधनों को 13.05.2014 में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया एवं उसे 16.06.2014 को जेट्टी मालिकों को संचारित किया गया। जेट्टी मालिकों ने माननीय उच्च न्यायालय केरल में रिट याचिका दायर की और अंतरिम आदेश पारित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता मांगी गई राशि का एक/चौथाई भुगतान करते हैं, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। उपयोग में आ रहे 287 जेट्टियों में से केवल 65 मालिकों ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है। शेष राशि मुकदमे के

कारण लंबित है। इसके बाद पोर्ट ने दरों में कमी की और जेट्टी के विवरण के आधार पर रु.2000/- से रु.100000/- के बीच एक स्लैब दर पेश किया।

इन दरों को वर्ष 2016 में टाम्प द्वारा पोर्ट के एसओआर में सामान्य संशोधन में शामिल किया गया, जो 21.08.2016 को अस्तित्व में आया था।

टाम्प ने अपनी अधिसूचना (22.10.2019) द्वारा जेट्टी के लिए संशोधित एसओआर और 2016 में कोचीन पोर्ट के बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क अधिसूचित किया। बोर्ड ने सीओपीटी (जेट्टी , पियर्स और स्लिपवे का लाइसेंस) विनियमन , 2020 पारित किया , जहां यह निर्धारित किया गया था कि जेट्टी लाइसेंस शुल्क एसओआर के अनुसार होगा। कोचीन पोर्ट के विधि प्रकोष्ठ ने कहा , चूंकि डब्ल्यूपी ने इस आधार पर मांग नोटिस को चुनौती दी थी कि एसओआर को टाम्प द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था , नियमानुसार नए सिरे से मांग नोटिस हमेशा बनाया जा सकता है। जेट्टी मालिकों द्वारा दायर किए गए कई मुकदमे चल रहे होने के कारण जेट्टी लाइसेंस शुल्क की वसूली की स्थिति लंबित है।

iv) **एनटीबी और एसटीबी की बिजली बिल**

नर्थ एवं साउथ टैंकर बर्थों में पोर्ट के एचटी बिजली संयोजन को एचटीआईआई (गैर औद्योगिक - गैर वाणिज्यिक) टैरिफ के तहत बिल किया गया। टैरिफ में संशोधन के परिणामस्वरूप केएसईबी ने 15.05.1999 से एचटी II से एचटी IV (वाणिज्यिक) टैरिफ का पुनर्वर्गीकरण किया और केएसईबी ने मई 1999- जुलाई 2010 की अवधि के लिए संशोधित बिल जारी किया और बकाया राशि की मांग की। कोचिन पोर्ट प्राधिकरण ने बकाया की मांग के खिलाफ केएसईबीएल के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के समक्ष एक याचिका दायर की और एचटी-II के रूप में टैरिफ को बनाए रखने का अनुरोध किया।

हालांकि सीजीआरएफ ने केएसईबीएल के फैसले को सही ठहराया। इस पर असंतुष्ट कोचिन पोर्ट ने माननीय विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील की एवं लोकपाल ने आखिरकार आदेश दिया कि एनटीबी और एसटीबी पर कोचिन पोर्ट के टैरिफ को केवल एचटी- II के तहत बरकरार रखा जाए। केएसईबी ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोकपाल के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। केरल के माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त होना बाकी है। पोर्ट वर्तमान में एचटी-II टैरिफ के तहत बिल का भुगतान कर रहा है। 31.03.2022 तक विवादों के लिए अंतर राशि 1.24 करोड़ रुपये है।

v) संपदा भाड़ा के मामले में , उन मामलों में बिलिंग नहीं की गई है , जिनके लिए पोर्ट ने फिर से शुरू करने का नोटिस दिया है और बेदखली की प्रक्रिया चल रही है।

ऐसे 7 लीज के मामले हैं , जिनके लिए सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम/पुनरुद्धार नोटिस जारी/मुकदमेबाजी के कारण बिलिंग रोक दी गई है।

ऐसे 11 लाइसेंस मामले हैं , जिनके लिए सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम/पुनरुद्धार नोटिस जारी/मुकदमेबाजी के कारण बिलिंग रोक दी गई है।

vi) **ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप:**

डीजीएफटी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/2015-20 दिनांक 23.09.2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 से प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारतीय रुपये में भुगतान पर एसईआईएस के तहत लाभ का दावा अब उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, आईपीए के निर्देश के आधार पर कोचिन पोर्ट ने वर्ष 2019-20 के लिए एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन किया था क्योंकि भारतीय रुपये में डॉलर मूल्यवर्ग की आय थी , जिसे डीजीएफटी ने अस्वीकार कर दिया था।

30. कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह के खातों का एक अलग सेट लेखों की अनुसूची IX में संलग्न है।

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पत्तन प्राधिकरण के 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखा पर उठाए गए टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई नोट

ए. तुलन पत्र :

ए.I. पूंजी उपयोग:

ए.I.1. ऋण और अग्रिम (अनुसूची VII): ₹.104.56 करोड़

उपरोक्त में जीएचडी नेहरू शताब्दी जहाज की ड्राई डॉकिंग मरम्मत के लिए पहले और दूसरे चरण के भुगतान के लिए ठेकेदारों को अग्रिम के रूप में दर्शाई गई ₹4.04 करोड़ की राशि शामिल है। हालांकि, विविध लेनदारों को गलत तरीके से क्रेडिट करके, उसी राशि को परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के तहत व्यय के रूप में भी दर्ज किया गया है। यह चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में ₹4.04 करोड़ की अतिबयानी में परिणामित है।

- वर्ष *2021-22* के दौरान, जीएचडी नेहरू शताब्दी की ड्राई डॉकिंग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को अग्रिम के रूप में *4,04,32,870/-* रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। अग्रिम होने के कारण, इसे विशेष जीएल *'ए'* के रूप में लेखांकन किया गया था ताकि ठेकेदारों के खाते में अग्रिम में प्रतिबिंबित किया जा सके।

  चूंकि, जीएचडी नेहरू शताब्दी की ड्राई डॉकिंग 2021-22 के दौरान पहले ही शुरू हो चुकी थी और 2021-22 के दौरान इसमें काफी काम किया गया था, अग्रिम को राजस्व व्यय में पलटा कर 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय के लिए 4 ,04,32,870/- रुपये का अग्रिम प्रभारित किया गया था।

  हालांकि, रिवर्सल एंट्री पास करते समय स्पेशल जीएल ए का चयन नहीं किया गया था। इसके कारण, विविध लेनदारों के खाते में प्रतिवर्ती प्रविष्टि परिलक्षित हुई , जबकि ठेकेदारों के खाते में अग्रिम राशि थी। इसमें वर्ष 2022-23 के दौरान सुधार किया गया है

ए.*I.2.* वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-*VIII): ₹766.12* करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान के कारण देयता ₹3,031.33 करोड़ है। हालांकि, एलआईसी की ओर किया गया योगदान और 31 मार्च 2022 को योगदान पर अर्जित ब्याज केवल ₹675.41 करोड़ था। इस प्रकार अंशदान में ₹2,355.92 करोड़ की कमी आई है। पत्तन प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है। यह वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों की कमबयानी और ₹ 2,355.92 करोड़ संचित हानि की कमबयानी में परिणामित है।

- कोचिन पत्तन की वर्तमान वित्तीय स्थिति पेंशन और ग्रेच्युटी अंशदान के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पिछले कई वर्षों में संचित देयता के लिए भारी प्रावधान करने हेतु अनुकूल नहीं है। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप लेखा में भारी नुकसान होगा और जो कोचिन पत्तन को धन जुटाने के लिए अयोग्य बना सकता है। देनदारी का बीमांकिक मूल्यांकन और देयता के प्रति वास्तविक निवेश का खुलासा खातों की टिप्पणियों में किया गया है।

ए.II. धन के स्रोत

ए. II.1 अनुदान सहायता ₹37.72 करोड़

उपरोक्त में ₹7.31 करोड़ की सहायता राशि के अनुदान पर अर्जित ब्याज शामिल है। इसमें से कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने सरकार को ₹2.57 करोड़ की राशि का भुगतान किया है। साथ ही वाणिज्य मंत्रालय ने अनुदान के लिए ₹ 1.40 करोड़ (बार्ज बर्थ के एएसआईडीई अनुदान पर अर्जित ब्याज) को क्रेडिट करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज की शेष राशि ₹3.34 करोड़ को अनुदान सहायता के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। सामान्य वित्तीय नियम 2018 के नियम 230 (8) के अनुसार 'किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी अनुदान सहायता या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के खिलाफ सभी ब्याज या अन्य कमाई खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा की जानी चाहिए। इस तरह के अग्रिमों को भविष्य में जारी धनराशि में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जैसे कि इस राशि को वर्तमान के देनदारियों में दर्शाया जाना चाहिए था। यह अनुदान सहायता की अतिबयानी और वर्तमान देनदारियों को ₹3.34 करोड़ की कमबयानी में परिणामित है।

- वर्ष 2022-23 से, अनुदान पर अर्जित ब्याज जो संबंधित मंत्रालयों को चुकाया जाना है , अनुदान सहायता के बजाय वर्तमान देनदारियों में दर्शाया जाएगा।

बी. लाभ और हानि लेखा

बी.I आय

कार्गो हस्तन और भंडारण शुल्क (उपअनुसूची- सी): ₹270.87 करोड़

राजस्व की मान्यता पर कोचिन पत्तन प्राधिकरण की लेखां कन नीति (मद-12) के अनुसार , कार्गो सेवाओं पर राजस्व को केवल सेवा के पूरा होने पर ही मान्यता दी जानी है। हालांकि, लेखांकन नीति में निम्नलिखित व्यतिक्रम पाए गए:

i) विदेशी पोत बैटिस से कार्गो डिस्चार्ज (42549.5 एमटी क्लिंकर) अप्रैल 2022 में किया गया था। हालांकि, 31 मार्च 2022 को ₹39,72,847 की घाटशुल्क आय को गलत तरीके से आय के रूप में शामिल किया गया था।

ii) विदेशी पोत आर्डमोर सीलीडर से कार्गो डिस्चार्ज (32000 मीट्रिक टन नाफ्था) अप्रैल 2022 में पूरा किया गया था। हालांकि, घाटशुल्क आय ₹38,42,240 को गलत तरीके से 31 मार्च 2022 को आय के रूप में शामिल किया गया था।

यह वर्ष के लिए ₹ 78,15,087 के आय और लाभ की अतिबयानी में परिणामित है।

- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए तथ्यों और आंकड़ों को नोट किया गया। वर्ष *2022-23* से ऐसे मामलों को "अग्रिम में प्राप्त आय" के रूप में शामिल किया जाएगा।

बी.II व्यय

बी.II.1 वित्त और विविध व्यय (अनुसूची. एम): ₹382.92 करोड़

पूंजी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन , पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए भंडार और विकास के लिए रिजर्व, ऋणों और आकस्मिकताओं की पुनःभुगतान के लिए नियोजित पूंजी का कम से कम 3 प्रतिशत हस्तांतरित करने संबंधी मंत्रालय के निर्देशों (22 सितंबर 1976) का गैर अनुपालन वित्त और विविध व्यय की कमबयानी एवं वर्ष के लिए ₹ 6.15 करोड़ के लाभ की अतिबयानी में परिणामित है।

• पिछले वर्ष तक नियोजित पूंजी की गणना करते समय, भारत सरकार के ऋण पर देय ब्याज को वर्तमान देनदारियों के रूप में माना जाता था। यदि 2021-22 में समान मूलधन का पालन किया जाता है , तो नियोजित पूंजी 2021-22 के दौरान भी नकारात्मक होगी और सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 2021-22 के दौरान वैधानिक भंडार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि *2021-22* के लिए लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय अनुपात की पुष्टि करते समय सीओपीए द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान स्वीकार किए गए 2021-22 के दौरान सकारात्मक नियोजित पूंजी के कारण लेखापरीक्षा ने भारत सरकार के ऋण पर ब्याज को पूंजीगत ऋण के रूप में न कि पिछले वर्ष के विपरीत वर्तमान देयता के रूप में मानते हुए नियोजित पूंजी की गणना की है।

अब, चूंकि मंत्रालय और आईपीए ने महापत्तन प्राधिकरण प्राधिकरण अधिनियम के अनुरूप महापत्तनों द्वारा पालन किए जाने वाले नए लेखांकन प्रारूप और लेखा मानकों को तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए तत्कालीन प्रचलित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 से आवश्यक वैधानिक भंडार बनाए जाएंगे।

सी. सामान्य

सी.1. जैसा कि लेखा मानक (एएस) 15 द्वारा अपेक्षित है , 'नियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन' के लिए पत्तन ने न तो बीमांकिक मूल्यांकन किया है और न ही वर्ष 2021-22 के खातों में अपने कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए देयता प्रदान किया है।

• कोचिन पत्तन प्राधिकरण के वार्षिक लेखा बिलिमोरिया रिपोर्ट में दी गई सिफ़ारिशों के आधार पर तैयार किए जाते हैं , जो न तो अर्जित अवकाश के नकदीकरण के बीमांकिक मूल्यांकन की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है और न ही इसके प्रति दायित्व प्रदान करता है। इसलिए, पत्तन कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन लेने की प्रथा का पालन नहीं करता है।

साथ ही कोचिन पत्तन की वित्तीय स्थिति अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु पर्याप्त प्रावधान करने के लिए अनुकूल नहीं है।

डी. अनुदान सहायता

1 अप्रैल 2021 को अनुदान का आदिशेष राशि ₹20.02 करोड़ थी। 2021-22 के दौरान पत्तन द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता ₹27.14 करोड़ था जिसमें से ₹25 करोड़ की राशि मार्च 2022 के दौरान प्राप्त हुई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹7.33 करोड़ की राशि खर्च की गई थी और ₹1.86 करोड़ को पहले के वर्षों में पत्तन के अपने कोष से किए गए व्यय के खिलाफ समायोजित किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान अर्जित ब्याज ₹0.30 करोड़ और पुनःभुगतान किए गए ब्याज ₹0.55 करोड़ था जिसमें पिछले वर्षों का ब्याज भी शामिल है। 31 मार्च 2022 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में ₹37.72 करोड़ की राशि शेष रही।

• तथ्यात्मक

अनुबंध- I

1) **आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता:**

आंतरिक लेखापरीक्षा में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं

2) **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:**

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किसी संगठन के संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता , नियमों और विनियमों के अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध मेंसंगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि पर एक उचित आश्वासन प्रदान करती है । लेखापरीक्षा ने प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पायी है:

i) कोचिन पत्तन प्राधिकरण के पास ड्रेज्ड रेत का विशाल भंडार था , जिसका मूल्य **₹565** प्रति घन मीटर था। हालांकि, ड्रेज्ड रेत के सटीक स्टॉक को मापने के लिए कोई प्रणाली तैयार नहीं की गई है।

• ड्रेजिंग एक सतत प्रक्रिया होने के कारण ड्रेजिंग सामग्री की सही मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकता है। रेत के स्टॉक की निगरानी करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसे किनारे पर फेंक दिया जाता है और इसका अपक्षरण भी होता है।

ii) कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने बाजार की मांग का आकलन करने और ई-निविदा के माध्यम से बेची गई ड्रेज्ड रेत का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली तैयार नहीं की है।

• ड्रेज्ड रेत का आरक्षित मूल्य नीलामी में प्रस्तावित उच्चतम दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नीलामी में दी जाने वाली दरें वास्तविक बाजार मांग को दर्शाती हैं और अधिक विश्वसनीय हैं।

22.09.2020 को आयोजित नीलामी के दौरान तलाशे गए उच्चतम बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से रेत का मूल दर 553 रुपये प्रति घन मीटर तय किया गया जिसे 08.04.2021 और 28.09.2021 को आयोजित नीलामियों में 28.09.2021 को सर्वाधिक 565 रुपये प्रति घन मीटर प्राप्त होने तक अपनाए गए। *16.11.2021* और *07.01.2022* को, *565* रुपये प्रति घन मीटर की संशोधित दर के साथ नीलामी आयोजित की गई थी।

3) **अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन**

अचल संपत्तियों के सत्यापन की प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं पायी गईं।

• तथ्यात्मक

4) **वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

वस्तुसूची के सत्यापन की प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं पायी गईं।

• तथ्यात्मक

5) **सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता**

पत्तन अविवादित सांविधिक देय के भुगतान में नियमित था।

• तथ्यात्मक

अनुलग्नक-II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण की लेखा की समीक्षा।

नोट: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कीलेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखा परीक्षा अवलोकन /टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया है।

1. वित्तीय स्तिथि

निम्न सारणी 31, मार्च,2020, 2021 एवं 2022 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की समाप्ति में कोचिन पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सारांशित करती है।

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	
ए.	देयताएं				
(i)	पूंजी भण्डार	84.84	84.84	84.84	
(ii)	अन्य भण्डार	34.26	37.42	55.11	
(iii)	उधार- पूंजी ऋण, सरकार से ऋण	206.51	206.51	446.82	
	अन्य ऋण	0.30	0.30	0.30	
(iv)	मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान	868.39	971.06	768.42	
(v)	अन्य देनदारियाँ	68.35	70.98	-	
	कुल	1262.65	1371.11	1355.49	
बी	संपदाएँ				
(i)	अचल सम्पदा	676.60	702.36	704.27	
(ii)	न्यून: अवमूल्यन	(306.00)	(324.30)	(340.63)	
(iii)	निवल अचल सम्पदा	370.60	378.05	363.64	
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	28.23	3.70	8.03	
(v)	निवेश	1.15	1.15	0.15	तथ्यात्मक
(vi)	मौजूदा संपदाएँ, ऋण एवं अग्रीम	370.23	502.97	507.34	
(vii)	संचित घाटा	492.44	485.24	476.33	
	कुल	1262.65	1371.11	1355.49	
सी	कर्यशील पूंजी[1]	(-)498.16	(-)468.09	(-)261.08	
डी	निवल मूल्य[2]	(-)373.34	(-)362.98	(-)336.38	
ई	पूंजी नियोजित[3]	(-)127.55	(-)90.04	(+)102.56	
एफ	नियोजित पूंजी पर रिटर्न [4] (में %)	(+)16.70	(+)8.00	(+)8.68	
1	कार्यशील पूंजी ऋण पर अर्जित ब्याज सहित मौजूदा संपदा मौजूदा ,कम देनदारियाँ को दर्शाती है।				
2	निवल सम्पत्ति, पूंजी भण्डार और अन्य भण्डार व अधिशेष कम संचित घाटे को दर्शाता है।				
3	नियोजित पूंजी, निवल अचल संपदाओं और कार्यशील पूंजी को दर्शाता है।				
4	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध अधिशेष/घाटे (विनियोग से पहले) का प्रतिशत दर्शाता है।				

2. **कार्यशील परिणाम:**

31मार्च, 2022 को समाप्त तीन वर्षों के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण के कार्यशील परिणाम

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	
ए	**राजस्व**				**नीचे दिए गए नोटों को छोड़कर तथ्यात्मक :-**
(i)	परिचालन आय	649.03	683.32	715.80	
(ii)	गैर-परिचालन आय	43.20	43.66	43.32	
	कुल	**692.23**	**726.98**	**759.12**	
बी	**व्यय**				
(i)	परिचालन व्यय	355.88	343.43	367.30	
(ii)	गैर-परिचालन व्यय	315.05	376.35	382.92	
	कुल	**670.93**	**719.78**	**750.22**	
सी	विनियोजन से पहले निवल अधिशेष/घाटा	(+) 21.30	(+) 7.20	(+) 8.90	
डी	न्यून: विनियोजन / संयोजन: हस्तान्तरण(निवल)	0	0	0	
ई	राजस्व भण्डार को हस्तान्तरित अधिशेष/घाटा	(+) 21.30	(+) 7.20	(+) 8.90	
एफ	**अधिशेष/घाटा के लिए निवल की प्रतिशतता:**				
(i)	परिचालन आय	(+) 3.28	(+) 1.05	(+) 1.24	
(ii)	निवल अचल संपदाएँ	(+) 5.75	(+) 1.90	(+) 2.45	
(iii)	निवल संपत्ति	(+) 5.70	(+) 1.98	(+) 2.65*	

	***टिप्पणी** निवल अधिशेष/घाटे के निवल सम्पत्ति के प्रतिशत पर संशोधित आंकड़े			लागू नहीं

3. **अनुपात विश्लेषण**

पत्तन प्राधिकरण के नकदी एवं सम्पन्नता पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं:

वर्ष 2019-20,2020-21 एवं 2021-22 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए मौजूदा संपत्ति का प्रतिशत क्रमशः 42.63, 51.80 और 66.02 था।	**तथ्यात्मक**
वर्ष 2019-20,2020-21 एवं 2021-22 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए तत्काल संपदाओं की प्रतिशतता क्रमशः 33.89,43.88 एवं 52.32 था।	
वर्ष 2019-20,2020-21 एवं 2021-22 के दौरान परिचालन आय के लिए विविध देनदारों की प्रतिशतता क्रमशः9.57, 7.59 एवं 7.44 था।	
वर्ष 2019-20,2020-21 एवं 2021-22 के दौरान पूंजीगत भण्डार एवं सामान्य भण्डार के अनुपात के लिए पूंजीगत ऋण क्रमशः 2.02, 2.02 एवं 4.37 था।	

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी